पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2024-2026

क्रम संख्या-03



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 जनवरी, 2024 ई0 पौष 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 02/XXXVI (3)/2024/58(1)/2023 देहरादून, 03 जनवरी, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023' पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 02, वर्ष— 2024 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Rusived via 2024 as told His what application of planning as the service of the s

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अध्याय-1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	6
2.	परिभाषाएं	6-10
	अध्याय—2	
	विश्वविद्यालय की स्थापना	
3.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्ते	10
4.	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	11
5.	प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संस्तुति	11
6.	'आशय पत्र' जारी किया जाना एवं प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या जमा किया जाना	, 11
7.	विश्वविद्यालय की स्थापना	11-12
	अध्याय-3	
	विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके उद्देश्य	
8.	विश्वविद्यालय का निगमन	12
9.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	13
10.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	13-16
11.	प्रवेश एवं शैक्षणिक मानक	16
12.	विश्वविद्यालय का सभी वर्गो और मतावलम्बियों के लिए खुला होना	16
13.	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	17
14.	किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	17
	अध्याय-4	
	विश्वविद्यालय के अधिकारी	The same of the sa
15.	विश्वविद्यालय के अधिकारी	17-18
16.	कुलाध्यक्ष	18
17.	अध्यक्ष	18-19
18.	कुलपति	19-20

19.	कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य	20-21
20.	प्रतिकुलपति	21-22
21.	संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक	22
22.	कुलसचिव	22
23.	वित्त अधिकारी	22
24.	परीक्षा नियंत्रक	22-23
25.	. अन्य अधिकारी	23
	अध्याय—5	
	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	
26.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	23
27.	. व्यवस्थापक मण्डल	23-25
28.	प्रबन्धन मण्डल	, 25
29.	विद्या परिषद्	25
30.	परीक्षा मण्डल	26
31.	पाठ्यकम मण्डल	26
32.	योजना मण्डल	26
33.	वित्त समिति	26
34.	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	, 26
35.	किसी प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	26
	अध्याय—6	
	परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम	
36.	परिनियम बनाने की शक्ति	27-28
37.	अध्यादेश बनाने की शक्ति	28-29
38.	विनियम बनाने की शक्ति	29
39.	परिज्ञियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	29
40.	दीक्षान्त समारोह	30
41.	विश्वविद्यालय का प्रत्यायन	. 30
	अध्याय—7	
	विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते	
42.	स्थायी विन्यास निधि	30
43.	सामान्य निधि	30-31
44.	विकास निधि	31
45.	निधियों का अनुरक्षण	31-
46.	् वार्षिक प्रतिवेदन	31

0:	- 11 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(
47.	वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा		31-32
48.	विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा		32
11.11	अध्याय–8		
	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भू	मेका	
49.	विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकायों के नियम, मानक आदि का अनुसरण	विनियम,	32
50.	सूचना और अभिलेखों की मांग करने के लिए राज की शक्ति	य सरकार	32
51.	राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमि	का	33
52.	शुल्क		33-34
53.	दण्ड का प्रावधान		34-35
	अध्याय-9		
	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन		
54.	विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन		35-36
55.	विघटन / परिसमापन के दौरान विश्वविद्यालय व	ने व्यय	36
	अध्याय10		
	प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध		
56,	शिक्षकों का कर्त्तव्य		36
57.	परीक्षा संबंधी कार्य करने की बाध्यता		36
58.	विवरणी और जानकारी		36
59.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि		36-37
60.	अपील का अधिकार		37
61.	शिकायत निवारण समिति		37
62.	भविष्य निधि एवं पेंशन		37
63.	प्राधिकरणों और निकायों के गठन संबंधी विव	ाद	37
64.	आकरिमक रिक्तियों की पूर्ति		37
65.	रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्रवाई का अमान्य न होना		38
66.	सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के प्रति संरक्ष	п	38
37.	विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की	विधि	38 -
38.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति		38
59.	कठिनाईयों के निवारण की शक्ति		38
70.	उत्तराखण्ड के न्यायालय में विवादों का निस्ता	रण	38
71.	अध्यारोही प्रभाव		38

उत्तराखण्ड असाघारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्)

72.	निरसन और व्यावृत्ति	39	
73.	संक्रमणकालीन उपबन्ध	39	
74.	अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय	39	

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024)

गुणवतापूर्ण, बहु-विषयक एवं उद्योग-प्राषांगिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों को निगमित व स्थापित करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का निरसन कर इस अधिनियम के अधीन निगमित व स्थापित करने तथा उनके कृत्यों को समान रूप से विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.—

		R-7-1-11	अध्याय 1 प्रारम्भिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 है।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
		(3)	यह उस दिनॉक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचन द्वारा, नियत करे।
परिभाषाएं	2.	जब त	क कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, —
		(ক)	''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 202 अभिप्रेत हैं;
		(ख)	"विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
		(ग)	''प्राधिकरण'' से विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
		(घ)	''व्यवस्थापक मण्डल'' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रे है;
		(₹)	"प्रबन्धन मण्डल" से विश्वविद्यालय का प्रबन्धन मण्डल अभिप्रेत है;
		(ঘ)	"निकाय" से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाय गया निकाय अभिप्रेत हैं;

	(छ) "प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन शुल्क)" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जिसे निर्धारित व सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित शुल्क के अतिरिक्त नकद या अन्य किसी मद में लिया जाये;
	(ज) "महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित व प्रवन्धित महाविद्यालय या संस्थान या विद्यालय अभिप्रेत है;
	(झ) "परीक्षा नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है:
	(ञ) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;
	 ट) "विभाग" से अध्यादेशों या विनियमों द्वारा किसी विषय या विषय के समूह हेतु नामनिर्दिष्ट विभाग अभिप्रेत है;
	 "निदेशक" से विश्वविद्यालय के किसी संस्थान, विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र सहित, का प्रधान अभिप्रेत है;
	ड) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी जिसमें अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;
	 "मूल्यांकन समिति" से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है;
	ग) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय जिसमें कुछ विभाग सम्मिलित हो अभिप्रेत है:
(त) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित समिति अभिप्रेत है;
(पंवित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;
	 "उच्च स्तरीय समिति" से इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों की संस्तुति करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति अभिप्रेत है;
(6	 "उच्च शिक्षा" से 10+2 स्तर के ज्ञान से आगे के पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

	(न)	"पर्वतीय क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र, ब्लॉक या जिले, जिसे उत्तराखण्ड राज्य द्वार अपनी नवीनतम अधिसूचना में पर्वतीय क्षेत्र परिभाषित किए गए हों अभिप्रेत हैं;
	(q)	"छात्रावास" से इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धं के अनुरुप विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के संघटक या अनुरक्षित महाविद्यालयों या संस्थानों के छात्रों के लिए आवास की एक इकाई अभिप्रेत है;
	(中)	''मुख्य परिसर" से उत्तराखण्ड राज्य में स्थित निजी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, जिसमें एक ही स्थान पर कम से कम पांच शैक्षणिक विभागों सहित विश्वविद्यालय का मुख्यालय सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;
	(ब)	''गैर परिसर केन्द्र / परिसर'' से निजी विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड की सीमा के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मुख्य परिसर से बाहर इसके संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित केन्द्र / परिसर अभिप्रेत है;
	(भ)	''अपतटीय परिसर'' से भारत सरकार एवं अतिथेय देश की पूर्वानुमित से निजी विश्वविद्यालय द्वारा देश के बाहर इसकी संघटक इकाई के रूप में स्थापित, संचालित एवं अनुरक्षित परिसर अभिप्रेत है;
- 108 Hz	(刊)	"विश्वविद्यालय के अधिकारी" से विश्वविद्यालय के अधिकारी अभिप्रेत है;
	(य)	"अध्यादेश" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के अध्यादेश अभिप्रेत है;
	(यक)	"स्थायी निवासी" से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण—पत्र है;
0.111	(यख)	''विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;
	(यग)	''अध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
	1 1	"प्राचार्य" से विश्वविद्यालय के किसी परिसर कॉलेज का प्राचार्य अभिप्रेत है;

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पाँच 13, 1945 शक सम्वत्)

(यङ)	''प्रति कुलपति'' से विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;
(यच)	''कुलसचिव' से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;
(यछ)	''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;
	"नियामक निकाय" से समय—समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नियामक निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय भेषजी परिषद्, भारतीय उपचर्या परिषद्, भारतीय दन्त परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वास्तुकला परिषद्, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय पुनर्वास परिषद्, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् आदि अभिप्रेत है;
(यझ)	''अनुसूची" से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
	"प्रायोजक निकाय" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली:
	(एक) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य अधिनियम के अधीन लाभ के बिना कार्य करने वाली उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था; या
	(दों) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संo 2 वर्ष 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास; या
	(तीन) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, या
	(चार) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अभिप्रेत है;
(यट)	राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

10

-	(यठ)	''परिनियम से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिष्रेत हैं;
	(यड)	"अध्ययन केन्द्र" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार की पूर्वानुमित से दूरस्थ शिक्षा सन्दर्भ में छात्रों को सलाह देने, परामर्श देने या अन्य कोई आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
	(यढ)	"छात्र" से निजी विश्वविद्यालयं द्वारा संचालित कोई उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रम जिसमें अनुसंधान भी सम्मिलित है हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिग्रेत है;
	(यण)	"अध्यापक" से नियामक निकाय द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार नियुक्त कोई आचार्य, सह—आचार्य, सहायक आचार्य/व्याख्याता या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् किसी छात्र को विद्या प्रदान करना अथवा अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन करना या अन्य किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन करना अपेक्षित हो, अभिप्रेत है;
*	(यत)	''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत हैं;
	(यथ)	''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में निगमित व स्थापित निजी विश्वविद्यालय, अभिप्रेत है;
	(यद)	"कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;और
	(यध)	"कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।
		अध्याय —2 विश्वविद्यालय की स्थापना
विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्ते	संचालित समय-स	निकाय, इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं करने हेतु. राज्य सरकार और नियामक निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में मय पर अधिसूचना द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित की गयी सभी पालन करेगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना	4.	प्रायोजक निकाय, जो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय रथापित करने के इच्छुक हों, राज्य सरकार को एक आवेद देंगे, जिसमें अन्य सूचनाओं के साथ प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य व रुप—रेखा एवं दृष्टि (विजन) प्रस्ताव तथा परियोजना आख्या एवं ऐसा ब्यौरा ए ऐसा शुल्क सम्मिलित होगा जैसा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारि किया जाय।		
प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं संस्तुति	5.	विश्वविद्यालय की रथापना के लिए प्रस्ताव तथा परियोजना आख्या की प्राप्ति पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग, विहित प्रणाली से प्रस्तावों का मूल्यांक करने हेतु एक मूल्यांकन समिति एवं प्रस्तावों की संस्तुति हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा।		
'आशय पत्र' जारी किया जाना एवं प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या जमा किया जाना	6.	धारा 5 के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थाप- किया जाना औचित्यपूर्ण है, तो वह प्रायोजक निकाय को एक 'आशय पत्र' जा करेगी।		
विश्वविद्यालय की स्थापना	7.	(1)	यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय द्वार विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु धारा—3 की सभी शर्तो व धारा—6 के अन्तर्गत जारी आशय पत्र के निबन्धों एवं शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है तो वह, धारा—8 की उपधारा (4) के प्रावधानों के क्रम में विश्वविद्यालय को निगमित करने के पश्चात राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम एवं स्थान में निजी विश्वविद्यालय को स्थापित व संचालित करने की अनुमति देगी।	
		(2)	राज्य सरकार विश्वविद्यालय को कार्य संचालन प्रारम्भ करने के लिए. जारी किये गये प्राधिकार—पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय अपना कार्य प्रारम्भ करेगा।	
		(3)	विश्वविद्यालय स्थापित करने के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम की अनुसूची—2 में उल्लिखित किया जायेगा।	
		(4)	विश्वविद्यालय के लिए वचनबद्ध/अधिग्रहीत/निर्मित/सृजित भूमि, भवन और अन्य आधारमूत संरचना का उपयोग जिस प्रायोजनार्थ इसका अधिग्रहण अथवा निर्माण किया गया है, के सिवाय अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।	

(5)	विश्वविद्यालय की समस्त संपित्तियां विश्वविद्यालय में निहित रहेंगी और इन संपित्तियों पर विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य का व्यक्तिगत अथवा मालिकाना हक नहीं होगा।
(6)	विश्वविद्यालय अपने कार्यक्रमों को किसी अन्य संस्थानों/कालेजों या निजी अनुशिक्षण संस्थानों के साथ फैंचाइजी व्यवस्था के द्वारा प्रदान नहीं करेगा, चाहे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाना हो।
(7)	विश्वविद्यालय, अस्तित्व में आने के पांच वर्षों के पश्चात् तथा मुख्य परिसर के विकसित होने के उपरान्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अन्य परिसर, गैर परिसर केन्द्र, अपतटीय परिसर, एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगाः
-	परन्तु यह कि विश्वविद्यालय द्वारा, मुख्य परिसर से भिन्न अन्य परिसर, गैर परिसर केन्द्र, अपतटीय परिसर एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने से पूर्व समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/नियामक निकायों द्वारा जारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

अध्याय —3 विश्वविद्यालय का निगमन एवं उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय का निगमन	8.	(1)	इस अधिनियम के लागू होने पर अनुसूची—1 में निर्दिष्ट, विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित व स्थापित माना जायेगा।
	8	(2)	अध्यक्ष, कुलपति, व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्धन मण्डल एवं विद्या परिषद् के सदस्य, कुलसचिव, जो इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में इस प्रकार पद ग्रहण किये हुए हैं, विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।
		(3)	विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक-सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से बाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
		(4)	राज्य सरकार, समय-समय पर राज्य विधानसभा में अधिनियमित कर एवं अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी नवीन निजी विश्वविद्यालय को निगमित कर सकेगी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विश्वविद्यालय के संचालन एवं कार्य करने के क्षेत्र को घटा, बढ़ा या बदल सकेगी।

· विश्वविद्यालय के उद्देश्य	9.	विश्वविद्यालय का उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझ् अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कें का प्रचार, प्रसार और अभिवृद्धि सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालय ध शोधकर्ताओं और शिक्षकों को निम्नलिखित के सम्वर्द्धन के लिये आवश् वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:—				
		(ক)	शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यकमों की पुर्नसंरचना, अध्यापन प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धितय और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;			
		(ख)	विभिन्न शाखाओं में अध्ययन एवं शोध;			
		(ग)	बहुविषयक व अन्तर्शाखीय अध्ययन एवं शोध;			
		(ঘ)	राष्ट्रीय एकीकरण, देशभिक्त, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता औ अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का समावेश;			
M. M. J		(इ)	औद्योगिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सीखने की प्रक्रिया क और अधिक संवेदनशील बनाना तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्र के समग्र विकास की चुनौतियों हेतु विश्वविद्यालय को इनसे निकटता से जोड़ना और			
	ment in the second	(च)	सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य उद्देश्यों का अनुसरण करना।			
विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	10.	दिशा-	। ह निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तिये अर्थात्,—			
		(क)	विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे, में शिक्षण हेतु उपबन्ध करना तथा शोध और ज्ञान व कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;			
		(অ)	शैक्षिक दिग्गजों एवं अकादिमक प्रतिष्ठा के व्यक्तियों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;			
		(ग)	ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन व परीक्षण की किसी अन्य पृद्धित के आधार पंर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवं उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उचित व पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;			

14	उत्तराखण्ड	असाधार	ण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्)
		(ঘ)	कुलाध्यक्ष की पूर्वानुमति से मानद उपाधियाँ प्रदान करना;
		(ঙ)	नियामक निकायों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक् पदों, आचार्य पदों, सह—आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों के संस्थित करना और तद्निमित्त नियुक्तियां करना;
		(च)	प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
		(ভ)	विभिन्न उपयुक्त पद्धतियों यथा संगोध्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएँ, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना;
		(ज)	उद्योग, शिक्षा या अनुसंधान जगत से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;
		(झ)	देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान या औद्योगिक व सामाजिक संगठनों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या जनको सहयुक्त करना;
10, 220		(স)	शोध और शिक्षा के लिए ऐसे स्कूलों, संकायों, विभागों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;
		(ट)	अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
		(ব)	विश्वविद्यालय के निरन्तर एवं आत्मनिर्भर विकास हेतु 'समग्र निधि' का सृजन करना;
		(ভ)	छात्रों के लिये छात्रावासों और शिक्षकों व कर्मचारियों के लिये आवासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण करना;
		(ভ)	विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के संचालन हेतु उपबन्ध करना;
		(দ্য)	शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना;
		(त)	विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानो के अनुसार मानक अवधारित करना, जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;

	(থ)	शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;
1,,,,,,,,	(ব)	सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की, आचरण नियमावली सहित, त्तेवा शर्तों का निर्धारण करना:
	(ध)	महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
	(ন)	विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित करना और इस सम्बन्ध में ऐसे विनिश्चय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;
	(प)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वारथ्य और सामान्य कल्याण के संवर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;
	(फ)	प्रायोजक निकाय की पूर्व अनुमित एवं परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरुप विश्वविद्यालय की चल सम्पत्ति को निस्तारित करना;
	(ৰ)	विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;
	(ਮ)	व्यवस्थापक मण्डल तथा प्रायोजक निकाय के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या प्रतिभूति सुरक्षा पर धन जुटाना, एकत्रित करना, स्वीकार करना तथा ऋण लेना;
	(H)	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;
-	(u)	संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;
	(यक)	समरूप उद्देश्यों वाली संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दान या अनुदान देना या सहायता प्रदान करना;
	(यख)	वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना;

		(यग)	ण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्) शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन तथा संचालन करना;
11		(यघ)	संदिदाओं को निष्पादित करना, कार्यान्वित करना, उसमें परिवर्तन या उसे समाप्त करना;
		(যক্ত)	अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण या आंशिक) को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना तथा दी गयी ऐसी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
		(यच)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियामक निकाय तथा राज्य सरकार के अनुनोदन से दूरस्थ पद्धति में शिक्षा प्रदान करना; और
<i>(*</i>		(यछ)	ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सुचार संचालन व उसके सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषांगिक या सहायक हों।
प्रवेश और शैक्षणिक मानक	11.	(1)	विश्वविद्यालय में संचालित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा अवधारित किये गये प्रतिमानों के अनुसार, प्रवेश समिति द्वारा किये जायेंगे।
		(2)	विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किये गये पाठ्यकमों के शैक्षणिक मानक, नियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।
	,	(3)	अध्यापक—छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा—निर्देशों के अनुसार होगा।
विश्वविद्यालय का सभी वर्गी और मतावलम्बियों के लिए खुला होना	12.	होगा अ के लिए प्रवेश वि करने व परीक्षा,	द्यालय सभी लिंग और वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला गैर विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति । किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें केए जाने के लिए या उसमें पद धारण करने के लिए या वहाँ से रनातक है लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:
		के स्था	परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को उत्तराखण्ड राज्य यी निवासियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश रोष उपबन्ध करने के लिए निवारित किया जाना नहीं समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों हेतु उपबन्ध	13.	(1)	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित होंगीः
			परन्तु यह कि यदि उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित सीटों में से कुछ सीट रिक्त रहती हैं, तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्तिम तिथि निर्धारित कर प्रकाशित की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित अन्तिम तिथि तक यदि उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी उपलब्ध न हो तो इन सीटों को विश्वविद्यालय अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भर सकेगाः परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों हेतु आरक्षित सीटों पर राज्य सरकार की तत्समय आरक्षण नीति लागू की जायेगी।
		(2)	निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुक्क में उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों को कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत अथवा शपथ पत्र में घोषित प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
		(3)	समूह "ग" एवं "घ" के समस्त पदों/रिक्तियों पर उत्तराखण्ड राज्य के अर्हता प्राप्त रथायी निवासियों को नियुक्ति दी जायेगी।
किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना	14.	अध्यय	वैद्यालय के अपने स्वयं के संघटक संस्थान/महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, ान केन्द्र व प्रशिक्षण व अनुसंघान केन्द्र हो सकते हैं, किन्तु विश्वविद्यालय को भी महाविद्यालय/संस्थान आदि को सम्बद्ध करने की शक्ति नहीं होगी।

अध्याय –4 विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी	15.	विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होगें, अर्थात्:		
		(क)	कुलाध्यक्ष;	
		(ख)	अध्यक्ष;	
		(ग)	कुलपति;	
		(घ)	प्रति—कुलपति;	
		(ক্ত)	संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक;	
		(च)	कुलसचिव;	
		(ঘ)	वित्त अधिकारी;	

18

	1	(ज)	परीक्षा नियंत्रक; तथा			
		(झ)	ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी परिभाषित एवं घोषित किया जाय।			
कुलाध्यक्ष	16.	(1)	उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।			
		(2)	कुलाध्यक्ष, जब उपरिथत हों, तो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगें।			
		(3)	मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा।			
	-	(4)	कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:			
			(क) विश्वविद्यालय के मामलों से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज या सूचनाएँ मांग सकोंगे।			
			(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय व किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, परिनियम, नियम, विनियम अथवा अध्यादेश के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझें, और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी संबंधित, पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।			
अध्यक्ष	17.	(1)	अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रकिया, परिलब्धियों, निबन्धनों एवं शर्ती का अनुसरण करते हुये पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा की जायेगी : परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय द्वारा उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।			
		(2)	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा। वह व्यवस्थापक मण्डल का पर्दन अध्यक्ष होगा एवं कुलाध्यक्ष की अनुपरिथति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।			
		(3)	यदि अध्यक्ष की राय में, किसी भी प्रकरण पर, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियाँ अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त हो, में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।			
-7		(4)	यदि किसी भी समय प्रत्यावेदन या अन्यथा, और ऐसी जॉच, जो आवश्यक			

			पर । परिनि लिए	नी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि अध्यक्ष का पद इने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो प्रायोजक निकाय द्वारा नेयमों में विहित प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष को अपना पद छोड़ने के कहा जा सकेगा : परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
	-	(5)	अध्यक्ष	त के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् ,–
			(ক)	प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण (नियुक्तियां करने वालां) के रुप में किसी अध्यापक या समकक्ष के विरुद्ध दिये गये विनिश्चय की अपील सुनने के लिए अध्यक्ष अपीलीय प्राधिकारी होगा।
			(ख)	विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना;
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			(ग)	इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति करना;
			(日)	इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार कुलपति को हटाना; तथा
**************************************			(ভ)	ऐसी अन्य शवित्तयां जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।
कुलपति	18.	(1)	विश्वति	ते विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, जो कि वेद्यालय के समस्त कार्यों के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं वेद्यालय के प्राधिकरणों एवं अधिकारियों के माध्यम से कार्य करेगा।
		(2)	होगा। समय-	ते सुदृढ़ प्रशासनिक कुशाग्रता के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद् वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों द्वारा -समय पर जारी विनियमों में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की वकताओं को पूरा करेगा।
		(3)	पर औ वर्ष की समिति	ते की नियुक्ति, उपधारा (2) के अनुसार योग्यता की शर्त पूरी करने र परिनियमों द्वारा विहित निबन्धनों एवं शर्तों पर, अध्यक्ष द्वारा तीन अविध के लिए, उपधारा (4) के अन्तर्गत गठित खोज—सह—चयन द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों के पैनल में से की जायेगी: परन्तु यह कि व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के अधीन कुलपित कित हेतु पात्र होगा:

			करने धारण	परन्तु यह और भी कि नियामक निकाय द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त पर कोई भी व्यक्ति कुलपति नियुक्त नहीं किया जायेगा अथवा पद नहीं करेगा।
		(4)	उपधा	रा (3) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होगें, अर्थात्.—
		1	(ক)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ०१ (एक) सदस्य;
			(ভ্ৰ)	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य;
			(ग)	विरवविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट 01 (एक) सदस्य;
			(ঘ)	प्रमुख सचिव / सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन;
			(ঙ)	व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामनिर्दिष्ट 02 (दो) सदस्य, जिनमें से 01 (एक) को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा समिति का संयोजक के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
		(5)	का पद तैयार व विशिष्टत	(4) के अन्तर्गत गठित समिति, योग्यता के आधार पर कुलपति धारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताओं तथा अन्य ताओं को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे अध्यक्ष को त करेगीः
			गये पैन	परन्तु यह कि यदि खोज—सह—चयन समिति द्वारा संस्तुति किये ल से यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट/सहमत नहीं है तो वह असहमति का ते हुए, केवल एक और बार नये पैनल की मांग करसकेगा।
ŧ)		(6)	जैसा कि जाता है में नहीं i	सी समय, प्रत्यावेदन के द्वारा या अन्यथा ऐसी जांच के उपरान्त आवश्यक हो, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार यह स्पष्ट हो कि कुलपित के कार्यकाल की निरन्तरता विश्वविद्यालय के हित है, तो अध्यक्ष, कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में तिथि पर, कुलपित को अपना कार्यालय त्यागने को कह सकता है
			प कुलपति व	रिन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।
कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य	19.	[होगा, जो	विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी एवं कार्यपालक विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों / संस्थानों व के कार्यकलायों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्बत्) कुलाध्यक्ष एवं अध्यक्ष की अनुपरिथति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा: अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों का (ख) कार्यान्वयन करेगाः प्रबंधन मंडल, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा: अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के उपबन्धों (_घ) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा; समुचित प्रशासन, समन्वय, निधियों के उपयोग, समय पर परीक्षा (ভ) का आयोजन तथा परिणामों की घोषणा तथा विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगा; तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठक में **(च)** बोलने एवं अन्यथा प्रतिभाग करने का अधिकारी होगा परन्त् इस उपधारा के आधार पर मतदान करने हेत् अधिकृत नहीं होगा। यदि कुलपति की राय में किसी भी प्रकरण पर, जिस हेत् इस अधिनियम (2) के अधीन शक्तियां उसके नियंत्रण के अधीन किसी प्राधिकरण को प्रदत्त है, पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह उचित समझे तथा तत्पश्चात शीघातिशीघ अवसर पर अपनी कार्रवाई की आख्या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को देगा, जो साधारण क्रम में इस प्रकरण पर कार्रवाई करताः परन्तु यह कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में कुलपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो असंतुष्ट व्यक्ति को ऐसा निर्णय संसुचित किये जाने या संज्ञान में आने की तिथि से 02 (दो) माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होगा. जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का (3) अनुपालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जायेगा या व्यवस्थापक मंडल या अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जाये। प्रतिक्लपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा कुलपति की अनुशंसा पर परिनियम प्रति-कुलपति (1) 20. द्वारा विहित रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये या अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित किया जाए।

		(2)	उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपित आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
		(3)	प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।
संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य/ निदेशक	21.	संकाय सभी :	विद्यालय के प्रत्येक संकाय/संघटक महाविद्यालय/संस्थान/विद्यालय हेतु इयक्ष/प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी एवं वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे सभी कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि प्रमों द्वारा विहित किया जाय।
कुलसचिव	22.	(1)	कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर नियुक्त किया जायेगा, जैसा परिनियमों द्वारा दिहित किया जाये।
		(2)	कुलसंचिव अपने पद के कारण प्रबन्धन मण्डल एवं विद्या परिषद् का सदस्य सचिव एवं अध्यापकों की चयन समिति का सचिव और वह वित्त समिति तथा अन्य समितियों या निकायों, जैसा कि परिनियमों एवं अध्यदेशों द्वारा विहित हो, का सदस्य होगा।
		(3)	कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सम्पत्ति और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी।
111		(4)	कुलसचिव को विश्वविद्यालय की और से किसी संविदा को करने व दरतावेजों को हस्ताक्षरित करने की शक्ति होगी।
	,	(5)	कुलसचिव ऐसी समस्त सूचना प्राधिकरणों के समक्ष रखने के लिए बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिए आवश्यक हो। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों को करेगा जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित किया जाय या कुलपित तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जाय।
वित्त अधिकारी	23.	(1)	वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।
		(2)	वित्तं अधिकारी वित्तं समिति का पदेन सचिव होगा।
परीक्षा नियंत्रक	24.	(1)	परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

		(2)	परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल का सदस्य सचिव होगा।
अन्य अधिकारी	25.		। द्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, खेवा की निबन्धन व क्तियां व कर्त्तव्यऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय —5 विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय	26.	विश्ववि	द्यालय	के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:		
के प्राधिकरण						
		(क)	व्यवस्थापक मण्डल; प्रबन्धन मण्डल;			
		(ख)				
		(ग)	विद्या परिषद्:			
		(ঘ)	परीक्षा	मण्डल;		
Strain Color		(ভ)	पाठ्यक्रम मण्डल;			
		(च)	योजन	ा मण्डल;		
		(छ)		समिति; तथा		
		(ज)	10 To	भन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण किये जाए।		
व्यवस्थापक मण्डल	27.,	(1)	व्यवस्थापक मण्डल विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण होग जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित शक्तियों के प्रयोग से इसके कार्यकलामों को नियंत्रित करेगा।			
	100	(2)	(2) विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:			
			(ক)	अध्यक्ष –अध्यक्ष;		
			(ख)	कुलपति –सदस्य सचिव;		
			(ग)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविदः		
			(ঘ)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित दो शिक्षाविद्;		
			(ঙ)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन य उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून हो;		
			(च)	अध्यक्ष द्वारा प्रशासन/कॉर्पोरेट/प्रबन्धन/सूचना तकनीर्क (आई०टी०) आदि क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित ०३ (तीन) व्यक्ति एवं		

24 उत्तराखण्ड	इ असाधार	(চ	ट. 03 जनवरी, 2024 ई0 (पीष 13, 1945 शक सम्वत्)) प्रायोजक निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित 0 (पाँच) व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक शिक्षाविद होगा।
2. 1	(3)	स्थान के व हस्ता	स्थापक मण्डल वर्ष में न्यूनतम 02 (दो) बैठकें ऐसी तिथि व ऐर त पर करेगा, जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करेः परन्तु यह कि अध्यक्ष, जैसा उचित समझे या व्यवस्थापक मण्डल कुल सदस्यों के अन्यून एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में क्षरित अपेक्षा पर, व्यवस्थापक मण्डल की विशेष बैठक आयोजित क
	(4)	व्यवर	थापक मण्डल की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:
		(ক)	विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों का निर्धारण करना और समय—समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना;
		(ख)	विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;
		(ग)	व्यवस्थापक मण्डल द्वारा लिये गये विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा लिये गये विनिश्चयों को संशोधित या परिवर्तित या निरसित करना;
		(घ)	विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन:
		(ঙ)	प्रबन्ध मण्डल द्वारा बनाये गये नये या अतिरिक्त परिनियमों और अध्यादेशों को अनुमोदित करना या पूर्व में बने परिनियमों व अध्यादेशों को संशोधित या निरसित करना;
	+	(च)	विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक विघटन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
		(ਬ)	विश्वविद्यालय के खातों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना एवं प्रबन्धन करना;
		(জ)	राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन;
		(झ)	विश्वविद्यालय की सभी निधियों का अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना;
		(স)	विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं एवं विकास के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्) (ट) ऐसे निर्णय लेना व ऐसे कदम उठाना, जो विश्वविद्यालय के विकास व उददेश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए वांछनीय होंगें; और ऐसे अन्य कृत्य को करना जैसे विहित किया जाय। प्रबन्धन मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकरण होगा। (1) प्रबन्धन मण्डल 28. प्रबन्धन मण्डल में निम्नलिखित होंगे, अर्थात .-(2) कुलपति -अध्यक्षः (क) प्रति-क्लपति, यदि कोई हो; (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट 05 (पांच) (T) विशिष्ट व्यक्तिः प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अपर सचिव स्तर से न्यून न अध्यक्ष द्वारा चक्रीय आधार पर नामनिर्दिष्ट अधिकतम 03 (तीन) (ভ) संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक; अध्यक्ष द्वारा कुलपति की संस्तुति पर ज्येष्ठता व चक्रीयकम में (되) नामनिर्दिष्ट दो आचार्यः (ঘ) वित्त अधिकारी: तथा कुलसचिव -सदस्य सचिव। (2) प्रबन्धन मण्डल की बैठक इस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय। प्रबन्धन मण्डल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यो का (3) निष्पादन करेगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाय। विद्या परिषद विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकरण होगी और परिनियमों, 29. (1) अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण, समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी। विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और (2) कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विडित किये जाय।

परीक्षा मण्डल	30.	1	परीक्षा मण्डल का गठन, इसकी शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित किया जाय।				
पाठ्यक्रम मण्डल	31.	पाठ्यक्रम मण्डल का गठन, शक्तियां एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वार विहित किया जाय।					
योजना मण्डल	32.	(1)	सुनिशि	ा मण्डल विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन <i>प्राधिकरण</i> होगा जो यह चत करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली वैद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक निकायों के प्रतिमानों को करे।			
		(2)	 100 (100) 	ा मण्डल का गठन, उनके सदस्यों की पदावधि और उसकी याँ एवं कार्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।			
वित्त समिति	33.	(1)	(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों के नीति निर्धारण व प्रबन्धन हे विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय प्राधिकरण होगी।				
		(2)	55.77.6	समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि पमों द्वारा दिहित किया जाय।			
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण	34.	परिनियमों द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण का गठन, शक्तियाँ ए कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।					
प्राधिकरण या निकाय के सदस्यों हेतु अनर्हता	35.	(1)	 ऐसा व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदर होने से अनर्ह होगा यदि वह:- 				
			(ক)	मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और किसी सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो:			
			(ख)	अनुन्मुक्त दिवालिया हो;			
			(ग)	नैतिक अधनता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है;			
			(ঘ)	कहीं भी किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में अनुचित आचरण का बढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिये दण्डित किया गया हो;			
			(ক্ত)	वेतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी अन्य लाभ का उद्देश्य हो; तथा			
			(ঘ)	विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये उपयोजित करता हो।			

अध्याय --6

परिनियम	36.	(1)	डस :	अधिनियम के अधीन निगमित तथा स्थापित विश्वविद्यालयों के प्रथ		
बनाने की शक्ति			व सं मण्डत	शोधित परिनियमों को प्रबन्धन मण्डल की संस्तुति पर व्यवस्थाप न द्वारा बनाया जायेगा और परिनियमों को राज्य सरकार के सम वन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।		
		(2)	परिनि	यमों की प्राप्ति के तीन माह की अवधि के अन्दर राज्य सरक यमों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित करेगी अथवा अपने सुझावों संशोधन हेतु विश्वविद्यालय को लौटायेगी।		
•		(3)	इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम् सभी या कोई विषय उपबन्धित किए जा सकेगें अर्थात:—			
			(ক)	विश्वविद्यालयों के प्राधिकरण या जैसा कि समय—समय पर गठि किये जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;		
			(ख)	प्राधिकरण के सदस्यों के पद पर नियुक्ति और निरंतरत प्राधिकरणों के रिक्त पदों को भरा जाना एवं प्राधिकरणों उ संबंधित अन्य सभी मामले, जिनके लिए ऐसा उपबन्ध करन आवश्यक होगा;		
			(ग)	विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्ति और कर्त्तव तथा उनकी परिलब्धियां;		
			(ਬ)	विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक एव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलक्षियां;		
ny ng 1 san All			(ঙ)	विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की, एक संयुक्त परियोजन का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति:		
			(च)	कर्मचारियों की सेवा शर्तों जिनमें सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, लाभ बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाही;		
			(छ)	कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;		
			(ज)	विश्वविद्यालय व इसके अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;		

28 ਚ	त्तराखण्ड	असाघ	ारण गजट	, 03 जनवरी. 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्)
			(郭)	अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करने एवं प्रदान करने हेतु शर्ते निर्धारित करना;
			(স)	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया व उसका निस्तारण;
			(ह)	मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
100			(ਰ)	उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धित विशिष्टताओं को वापस लेना या निरस्त करना;
			(ভ)	स्थायी विन्यांस निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालनः
			(ਫ)	विभागों का सृजन, विलय तथा उन्मूलन;
			(ল)	छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;
			(त्)	पदों का सृजन और उन्मूलन;
			(थ)	विश्वविद्यालय के विघटन/समापन की प्रक्रिया; और
			(द)	अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अनुसार हो या विहित किये जायें।
		(4)	गठन कं ही उसमें प्रस्तावित दिया जा	मण्डल विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके प्रभावित करने वाला कोई ऐसा परिनियम न तो बनाएगी और न में संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण_को परिवर्तनों पर लिखित रूपे में राय व्यक्त करने का अवसर न य और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर प्रबन्धन मण्डल वार किया जाय।
भध्यादेश बनाने की शवित		मण्डल	द्वारा बना	ौर परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश प्रबन्धन ये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित समस्त या उसमें से किसी विषय किये जा सकेंगे, अर्थात्:—
		(ক)	विश्वविद्य	ालय में छात्रों का प्रवेश और इस रुप में उनका नामांकन;
m		(ভা)		ालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्रों के लिए का निर्धारण;
	0.4			

		(E)	उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करन और उन्हें प्रदान या प्राप्त किए जाने हेतु अर्हताएं व उपाय निर्धारित करना;	
		(ভ)	विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तिये जाने वाले शिक्षण शुल्व तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों हेतु प्रभाय शुल्क का निर्धारण;	
· N		(च)	अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्ते	
		(B)	परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा समिति, परीक्षकों, निरीक्षकों, सारणीकारों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;	
		(ज)	विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते;	
		(झ)	छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;	
		(স)	ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, रे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियों;	
		(ट)	अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्विषयक अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;	
		(ਰ)	अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों, जिसमें व्यावसायिक निकाय या संघ भी हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ভ)	किसी ऐसे अन्य निकाय/समिति जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;	
		(ভ)	परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किए जाने दाला पारिश्रमिक; और	
		(দ্য)	अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित अन्य मामले।	
विनियम बनाने ंकी शक्ति	36.	गतिविधि	। द्यालय के प्राधिकरण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य धेयों के लिए ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा शों के उपबन्धों के असंगत न हो।	
परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का प्रकाशन	39.	इस अधिनियम के अधीन बनाए गये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें अपनी वेवसाइ पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाएगा।		

दीक्षांत समारोह	40.	द्वारा	उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदस्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह का आयोजन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों ये यथाविहित रीति के अन्तर्गत नियमित रूप से किया जाएगा।					
विश्वविद्यालय का प्रत्यायन	41.	कार्यकमों के प्रारम्भ होने के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् का प्रत्यायन एवं ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय—समय पर विहित किए जायें प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पांठ्यकमों से सम्बन्धित हों, से भी प्रमाणन / प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त ग्रेड के सम्बन्ध मे राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय—समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीनीकरण सुनिश्चित करेगा।						
			अध्याय—7 विश्वविद्यालय की निधि एवं खाते					
स्थायी विन्यास निधि	42.	(1)	प्रायोजक निकाय द्वारा 05 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकार व नाम से मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम 05 (पांच) करोड़ रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 03 (तीन) करोड़ रूपये की एक स्थाई विन्यास निधि राष्ट्रीकृत बैंक की बैंक प्रत्याभूत (गारंटी) स्थापित की जायेगी, तथा समयावधि पूर्ण होने पर् प्रति पांच वर्ष के पश्चात् नवीनीकृत किया जाता रहेगा तथा बैंक गारन्टी में प्रति पांच वर्ष में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।					
		(2)	रथायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु उपयोग किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अधिनियम के तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमनों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को जब्त करने की शक्ति निहित् होगी।					
		(3)	विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय द्वार अवसंरचनाओं के विकास अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।					
सामान्य निधि	43.	(1)	विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:—					
			(क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जायेंगे; (ख) किन्हीं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशि;					

प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

			(घ)	किसी अन्य व्यक्ति, संस्थाओं या निकायों, जो तत्समय प्रवृत्त किस अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, द्वारा इस निमित किये गये सम् अंशदान।
		(2)		प निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के विकास ए सुचारु संचालन हेतु व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।
विकास निधि	44.	(1)	T.	ाद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखि गे जमा की जायेगी, अर्थात्,—
			(ক)	विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकेंगे;
			(ख)	विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों हेतु अन्य स्त्रोतों से प्राप की गयी समस्त धनराशि;
	-		(ग)	प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;
			(ঘ)	किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन् विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, द्वारा इस निमित किये गये सम् अंशदान; तथा
			(ঙ)	स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
		(2)	12 11 2 1 1 2 1	निधि में समय—समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग द्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
निधियों का अनुरक्षण	45.	पर्यवेक्ष की ज	ायंगी।	अधीन स्थापित सभी निधियाँ व्यवस्थापक मण्डल के सामान नियंत्रण के अध्यधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षि
वार्षिक प्रतिवेदन	46.	(1)	तैयार 1 व्यवस्था	द्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देश के अधीन केया जायेगा तथा उसे ऐसे दिनांक को जैसा विहित किया जाए पक मण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा। व्यवस्थापक मण्डल अपर्न बैठक में प्रतिवेदन पर विचार कर उसे अनुमोदित करेगा।
		(2)		त वार्षिक प्रतिवेदन को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व कुलाध्यक्ष व ररकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
गार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा	47.	(1)	के अर्ध एकाउन	द्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन—पत्र, प्रबन्धन मण्डल के निर्देश ोन तैयार किए जाएंगे और उनकी लेखा—परीक्षा, प्रख्यात चार्टेर टेंट की अई फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रा अनिधिक के अन्तराल पर करायी जाएगी।
		(2)	प्रबन्धन	ारीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखाओं व तुलन–पत्र की एक प्रति मण्डल के प्रेक्षणों के साथ अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मण्डल क बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

शक्ति

राज्य सरकार एवं नियामक निकायों की भूमिका	51.	(1)	विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय के रूप में, राज्य सरकार की व्यापव नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत और नियामक निकायों के विनियमों एव दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा। राज्य सरकार तथा नियामव निकायों की भूमिका यह सुनिश्चित करने की रहेगी कि विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, और विनियमनों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करें तथा शैक्षणिक हितों के रचनात्मक समाधान हेतु राज्य सरकार और नियामक निकाय, आवधिक निरीक्षण सहित, हस्तक्षेप कर सकेंगे।
		(2)	राज्य सरकार, समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयव मामलों हेतु निर्देश, जैसा वह आवश्यक समझे, जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकेगी।
		(3)	घोर कुप्रबंधन, अनाचार, निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गम्भीर दुरुपयोग, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफलता या आशय पत्र के प्रावधानों और इस अधिनियम की किसी धारा के प्रावधानों का गैर अनुपालन का अभिज्ञान होने पर राज्य सरकार नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय को 02 (दो) माह के भीतर कारण बताने को कहेगी।
		(4)	उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी नोटिस पर विश्वविद्यालय के प्रत्युत्तर से यदि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम व परिनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह ऐसी जांच कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।
		(5)	यदि, उपधारा (4) के अंतर्गत की गयी जाँच की आख्या प्राप्त होने पर राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम व परिनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंधन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय पर, दण्ड लगाने, नियामक निकायों को विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति अथवा विश्वविद्यालय के परिसमापन सहित, समुचित कार्यवाही कर सकेंगी।
	To de la constantina della con	(6)	राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति को निस्तारित, विंकय व स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
शुल्क	52.	(1)	प्रबन्धन मण्डल द्वारा समस्त प्रयोजनों हेतु शुल्क संरचना का विनिश्चय, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मंडल द्वारा गठित, एक शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति पर किया जाएगा। शुल्क निर्धारण समिति में प्रबन्धन मंडल. विद्या परिषद् से लिए गए सदस्यों के साथ कार्यकम.और लेखा से सम्बन्धित वाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। प्रबन्धन मंडल का एक वरिष्ठ सदस्य शुल्क निर्धारण समिति की अध्यक्षता करेगा।

34 ਚ	1		रिण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्दत्) प्रबन्धन मण्डल द्वारा नियत शिक्षण शुल्क निरन्तर 03 (तीन) शैक्षणिक दर्ष
		(2)	तक के लिए मान्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा नियत सभी शुल्क एवं प्रभा तथा शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्ण प्रकटीकृत एवं सार्वजनिव होंगे। किसी भी पाठ्यक्रम के पूरा होने की अवधि के दौरान नामांकित छाड़ से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।
	-	(3)	विश्वविद्यालय छात्रों से शुल्क निर्धारण समिति अथवा नियामक निकारो
			द्वारा नियत शुल्क के अतिरिक्त, कैंपिटेशन शुल्क आदि जैसे कोई अन्य शुल्क, किसी भी रूप में, नहीं लेगा और शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं करेगा।
		(4)	प्रदत्त किए जाने वाले पाठ्यकमों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के स्तर का, पाठ्कमों को संचालित करने की लागत, मूलभूत सुविधाओं, शिक्षण व शोध की गुणवता और अन्य सुविधाओं के साथ एक उचित सम्बन्ध होना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम और सत्र में प्रवेश प्रारम्भ करने से पूर्व प्रवेश प्रकिया एवं शुल्क संरचना को विश्वविद्यालय की विवरणिका में प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
90.00		(5)	विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारण की पूरी प्रक्रिया एवं अभिलेखों को संरक्षित रखा जाएगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को सूचना हेतु एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम विचार हेतु भेजी जायेगी।
		(6)	किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी छात्र द्वारा शुल्क निर्धारण के गतत होने, निर्धारित एवं सार्वजनिक किए गए शुल्क से अधिक शुल्क या धन की माँग से सम्बन्धित, व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष की गई किसी लिखित शिकायत के दर्ज होने की दशा में व्यवस्थापक मण्डल या तो स्वयं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम के मानकानुसार गठित छात्र शिकायत निवारण समिति के माध्यम से मामले को निस्तारित करेगा।
		(7)	व्यवरथापक मण्डल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असन्तुष्ट कोई छात्र मामले को, सहायक अभिलेखों के सहित, विश्वविद्यालय के निर्णय आने के दो माह के भीतर राज्य सरकार को संदर्भित कर सकेगा।
•		(8)	राज्य सरकार मामले का परीक्षण कर निर्णय लेगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।
दण्ड का प्रावधान	53.	(1)	जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत, परीक्षा के किसी मामले या प्रदेश व उपाधि प्रदत्त करने सम्बन्धी मामले या अंकपत्र देने अथवा शुल्क से सम्बन्धित मामलों या शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों के लिए, बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उलंघन करेगा, वह दोष सिद्ध होने पर, ऐसी धनराशि के जुर्माने से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित

i

10			की जाय, दण्डनीय होगा :
	ľ		परन्तु यह कि, जहाँ इस अपराध में विश्वविद्यालय भी संलिप्त ह
			तो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय संचालित करने हेत् सरकार
			द्वारा प्रदत्त प्राधिकार-पत्र वापस लिया जा सकेगा।
		(2)	इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी
			के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से न्यून किसी न्यायालय द्वारा नहीं किय
			जायेगा और प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
			अथवा उनके द्वारा इस निमित साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा, लिखित
			में, प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर ही ऐसे अपराध
	535		का संज्ञान लिया जायेगा।
		(3)	किसी अन्य अधिनियम में निहित दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस
8			धारा के अधीन दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
			अध्याय —9
			विश्वविद्यालय का विघटन/परिसमापन
^ ^		1 (1	
विश्वविद्यालय	54.	(1)	यदि प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय को विघटित करने का प्रस्ताव करता
का विघटन/			है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष पूर्व का नोटिस लिखित
परिसमापन			रुप में देगा।
		(2)	उपधारा (1) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय
		(2)	के विघटन की तिथि से लेकर उसके नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के
1			अन्तिम बैच का पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या पूर्ण होने तक के लिए, विश्वविद्यालय
			के प्रशासन हेतु ऐसी व्यवस्था इस प्रकार करेगी जैसी विहित की जाये।
1			वर अस्तरा वर्षु देशा व्यवस्था इस अवगर वर्रमा वर्सा विविध वर्ग वाव
		(3)	धारा-51 की उपधारा (5) के उपबन्धों के क्रम में यदि राज्य सरकार
			विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेती है, तो इस सम्बन्ध में बनाये
			गये परिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत वह विश्वविद्यालय के परिसमापन
			की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी;
1		10	परन्तु यह कि, विश्वविद्यालय के परिसमापन की कार्यवाही प्रायोजक
			निकाय को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भ नहीं की
			जायेगी।
		(4)	उपधारा (2) व (3) के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन की
		3.55	प्रक्रिया पूर्ण होने पर राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा,
			विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन का आदेश जारी करेगी और ऐसी
			अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से विश्वविद्यालय
			विघटित / परिसमाप्त हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की सभी शेष
			आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनॉक से प्रायोजक निकाय में निहित हो
			जास्त्वा एवं दनदास्या उपत विनाय स प्रायाजक निकाय न निकाय
		- 1	MIGHT:

36 বল	राखण्ड	असाधा	रण गजट, ०३ जनवरी, २०२४ ई० (पौष १३, १९४५ शक सम्वत्)			
		(5)	उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के सम रखी जायेगी।			
विघटन/ परिसमापन के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय	55.	(1)	जब राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन या परिसमापन व निर्णय ले लिया जाये, तो विश्वविद्यालय के विघटन / परिसमापन की अवि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए होने वाले व्ययों का भुगता स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से पूरा किया जायेगा			
		(2)	यदि उपधारा (1) में वर्णित निधियाँ विश्वविद्यालय के व्ययों व देनदारियों व लिए पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय व देनदारियों व पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को विक्रय कर की ज सकेगी।			
			अध्याय —10 प्रकीर्ण और संक्रमणकालीन उपबन्ध			
शिक्षकों का कर्तव्य	56.	विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक समय-समय पर उसे विश्वविद्यालय द्वारा र गये शैक्षणिक, अनुसंधान, परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों व अन्य कार्यों का निष्पा करेगा।				
परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने की बाध्यता	57.	कोई भी व्यक्ति जिसे प्रश्न पत्र तैयांर करने, अन्तरीक्षकों, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन व्यावहारिक परीक्षा सम्पन्न कराने, सारणीकरण तथा अंकतालिका को तैयार करा व परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्य सौंपे जाते हैं, तो वह अपने कर्तव्य का निर्वहर विवेकपूर्वक व अत्यन्त निष्ठा से करेगा।				
विवरणी और जानकारी	58.	विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी का या कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त और अन्य मामलों य गतिविधियों आदि से संबंधित ऐसी जानकारी या अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, जैसा वि राज्य सरकार द्वारा मांगा जायेगा।				
कर्मचारियों की सेवा शर्ते आदि	59.	(1)	प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाएगी. जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा रखी जायेगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।			
		(2)	कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संगत परिनियम में विहित प्रक्रिया के अधीन होंगी।			
	-	(3)	विश्वविद्यालय एवं किसी पूर्णकालिक नियुक्त कर्मचारी के मध्य विवाद का निस्तारण कुलपति को सन्दर्भित किया जायेगा। कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कुलपति विवाद का निस्तारण सन्दर्भित किये जाने की तिथि से 03 (तीन) माह के भीतर करेगा।			
		(4)	अस्थायी या तदर्थ या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी से सम्बन्धित विवाद को कुलपति द्वारा सुना एवं निर्णित किया जायेगा।			

97	तराखण्य	ड असाघा	ारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पाँष 13, 1945 शक सम्वत्) 37
		(5)	कुलपित के आदेश से असन्तुष्ट कर्मचारी को ऐसे आदेश की सूचना या जानकारी के दो माह के भीतर अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
\$0 T		(6)	इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोक सेवक नहीं समझा जायेगा और वह हमेशा, इस अधिनियम के प्रायोजन के लिये, या अन्यथा, विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेंगे।
अपील का अधिकार	60.	कर्मचा के कि के भी समक्ष	वैद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थान के प्रत्येक री या छात्र को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय इसी अधिकारी या प्राधिकरण, यथास्थिति के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय तर जैसा परिनियमों द्वारा विहित हो, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के अपील करने का अधिकार होगा और व्यवस्थापक मण्डल ऐसे विनिश्चय को, हे विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उलट
शिकायत निवारण समिति	61.	(1)	शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ—साथ उसके विभागों के छात्रों की शिकायत पर विचार करने, उन्हें सुनने और जहाँ तक सम्भव हो तीन माह के भीतर उनका निवारण करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय की एक शिकायत निवारण समिति होगी। समिति उसके द्वारा निपटान की गई शिकायतों की आवर्ती आख्या प्रबन्धन मंडल को देगी।
			शिकायत निवारण समिति का गठन, उसकी शक्ति, कार्य और शिकायतों के निपटान करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित हो या नियामक निकायों के विनियमों में दी गयी हो।
भविष्य निधि एवं पेंशन	62.	निधि र बीमा र	द्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए जैसा उचित समझें ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों या कल्याणकारी योजनाओं का गढन करेगा और ऐसी योजना की व्यवस्था ऐसी रीति और शर्तों के अध्यधीन करेगा, जैसी एमों द्वारा विहित की जाये।
प्राधिकरणों और निकायों के गठन सम्बन्धी विवाद	63.	या अन्य है, या	ह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण प निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जिस पर उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।
आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	64.	(पदेन द्वारा व चयनित या सहर	द्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सभी आकरिमक रिक्ति सदस्यों से भिन्न सदस्यों) की पूर्ति शीघातिशीघ ऐसे व्यक्ति या निकाय ही जायेगी जो उस सदस्य, जिसकी जगह रिक्त हुई है को नियुक्त, या सहयोजित करता है, और ऐसी आकरिमक रिक्ति हेतु नियुक्त, चयनित योजित व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

.

38 उत्	तराखण	ड असाधारण गजट, 03 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 13, 1945 शक सम्वत्)		
रिक्तियों के कारण प्राधिकरणों और निकायों की कार्यवाही का अमान्य न होना	65.	विश्वविद्यालय के प्राधिकरण व अन्य निकाय के गठन में किसी त्रुटि अथवा किसी रिक्ति मात्र के कारण प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवार्ह अमान्य नहीं होगी।		
सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति संरक्षण	66,	विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में संस्थित नहीं की जा सकेरी जिसे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किया गया हो, या किये जाने हेतु आशयित हो।		
विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की विधि	67.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही/संकल्प या अन्य दस्तावेज या पंजिका में प्रविष्टि जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये गये हों, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही/संकल्प या अन्य दस्तावेज या पंजिका में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टिया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय को संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की जाती तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होती।		
सरकार की नियम बनाने की शक्ति	68.	सरकार, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी उददेश्य के कियान्वयन के लिए नियम बना सकती है।		
कठिनाईयों के निवारण की शक्ति	69.	(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।		
		(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आर्दश को, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।		
उत्तराखण्ड के न्यायालय में विवादों का निस्तारण	70.	इस अधिनियम व इसके अधीन बनार्य गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के उपबन्धों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न सभी विवादों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।		
अध्यारोही - प्रभाव	71.	इस अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के उपबन्धों का निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में राज्य विधान सभा द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव रहेगा।		

निरसन और व्यावृत्ति	72.	(1)	इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् इस अधिनियम की अनुसूची— के स्तम्भ-2 में उल्लिखित समस्त अधिनियम निरसित हो जायेंगे।
		(2)	उपधारा (1) में वर्णित अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के निरसित हो हुए भी, ऐसे निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा लि गये सभी निर्णय, किये गये कार्यों, शक्तियों एवं सृजित समस्त दायित्व इर अधिनियम के अधीन मान्य समझे जायेगें।
		(3)	निरसित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश या नियम एवं विनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाये गये नरं परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के बनाये जाने तक प्रभावी रहेंगेः परन्तु यह कि निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय जे कि अब इस अधिनियम के अधीन निगमित एवं स्थापित किये गये हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपने परिनियम अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।
संक्रमणकालीन उपबन्ध	73	इस ३	अधिनियम व परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी:
		(ক)	प्रायोजक निकाय प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करेगा।
		(ख)	प्रथम कुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति एवं ऐसी शर्तों के अधीन की जायेगी, जैसा वह उचित समझे एवं कुलपति 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
		(ग)	प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति एवं ऐसी शर्तों के अधीन की जायेगी जैसा वह उचित समझे एवं उक्त अधिकारी 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;
		(घ)	प्रथम व्यवस्थापक मण्डल का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा; एवं
		(ঙ্	अध्यक्ष द्वारा प्रथम प्रबन्धन मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिये, किया जाएगा।
अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय	74.	के ध	। धिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तराखण्ड राज्य मिंक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का 1न के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे।

<u>अनुसूची-1</u> स्थापित निजी विश्वविद्यालय

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्रीकुन्ज—शान्तिकुन्ज, हरिद्वार—249411	देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 04 सन् 2002)।	श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार
2.	यूपीईएस, पो०ओ०—विघोली, वाया—प्रेमनगर, देहरादून—248807	पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 15 सन् 2003) ।	हाईंड्रोकार्बन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसाइटी, 210, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेज 3 , ओखला, नई दिल्ली, 110020
3.	इक्फाई विश्वविद्यालय राजादाला रोड़, सेन्ट्रल होप टाऊन, सेलाकुई, देहरादून—248011	इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (उत्ताराखण्ड अधिनियम संख्या 16 सन् 2003)।	द इक्फाई सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना
4.	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, पो०ओ० शेरपुर, चकराता रोड़, देहरादून।	हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 17 सन् 2003)।	तालीम रिसर्च फाउंडेशन, अहमदाबाद, गुजरात
5.	पतंजिल विश्वविद्यालय, पतंजिली योगपीठ, रूड़की–हरिद्वार रोड़, हरिद्वार।	पंतजिल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ०४ सन् २००६)।	द पतंजिल योगपीठ (ट्रस्ट). नई दिल्ली
6.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, बेल रोड क्लेमॅनटाऊन, देहरादून	उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संठ 12 सन् 2011)।	ग्राफिक एरा एजूकेशन सोसाईटी, 566/6, बैल रोड़, क्लेमेण्ट टाउन, देहरादून—248002
7.	डी आई टी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, मक्कावाला, देहरादून—248009	डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 10 सन् 2013)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन, तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, जताराखण्ड–248009
8.	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, मक्का वाला, देहसदून–248009	आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संठ 13 सन् 2013)।	यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन, तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड–248009

9.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, आरकेडिया ग्रांट चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून 248007, उत्तराखण्ड	उत्तरांचल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संo 11 सन् 2013)।	सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेसनल स्टडीज एण्ड रिसर्च सोसाइटी, आरकेडिया ग्रान्ट, पोस्ट ऑफिस चन्दनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
10.	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून—248140, उत्तराखण्ड	हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 सन् 2013)।	हिमालयन इंस्टीट्यूट हास्पीटल ट्रस्ट, स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, देहरादून—248061, उत्तराखण्ड
11.	मदरहुड विश्वविद्यालय, करोंदी, भगवानपुर, रूड़की (हरिद्वार)	मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05 सन् 2015)।	मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलोजी सोसाईटी, ग्राम करौंदी, पोस्ट भगवानपुर, रूड़की
12.	भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, उत्तरी अण्डी चौर, कोटद्वार, जिला–पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 39 सन् 2016)।	
13.	महाराजा अग्रसेन हिमालयन गड़वाल विश्वविद्यालय, धेद गांव, ब्लॉक पोखरा, जिला पौड़ी गड़वाल, 246169, उत्तराखण्ड	हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संo 33 वर्ष 2016)।	
14.	रास विहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, कोटरा संतूर, नंदा की चौकी, देहरादून 248007, उत्तराखण्ड	रास बिहारी दोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–35 सन् 2016)।	
15.	श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय, वेस्ट पटेल नगर, पटेल नगर, देहरादून—248001, उत्तराखण्ड	श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संo 03 वर्ष 2017)।	श्री गुरू राम राय निशन शिक्षा सोसाइटी, देहरादून
16.	क्वॉन्टम विश्वविद्यालय, रूड़की—देहरादून हाईये, मंदावार, रूड़की—247167 उत्तराखण्ड	क्वॉन्टम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2017)।	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

17.	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, गूलर घाटी रोड बालावाला, देहरादून—248161, उत्तराखण्ड	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 सन् 2018)।	
18.	हिमालयीय विश्वविद्यालय, फतेहपुर टाण्डा, देहरादून	हिमालयीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 08 वर्ष 2019)।	
19,	कोर यूनिवर्सिटी, 07-कि0मी0 रूड़की-हरिद्वार रोड़, वर्धमानपुरम, रूड़की, जिला हरिद्वार		07-कि0मी० रूड़की-हरिद्वार राष्ट्रीय
20.	सूरजमल विश्वविद्यालय, ग्राम दोपहरिया, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड	सूरजमल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2021)	
21.	देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, नौगांव, माण्डुवाला, देहरादून	देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2021)	
22.	हरिद्वार विश्वविद्यालय, 5 किमी, रुड़की–हरिद्वार कनेाल रोड़, ग्राम बाजूहेडी, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हरिद्वार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2023)	सत्यम एजुकेशनल सोसाइटी, रूड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रूड़की टू हरिद्वार कनेल रोड़, बाजूहेडी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 247667

अनुसूची-2 इस अधिनियम के तहत स्थापित एवं निगमित निजी विश्वविद्यालय

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.			
2.			
3.			***
4.			

आज्ञा से, शहन्शाह मुहम्मद दिलंबर दानिश, प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश में अलग—अलग अधिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में भिन्न—भिन्न उपबन्ध हैं एवं उनके अनुश्रवण हेतु कोई समान व्यवस्था नहीं है। अतएव किसी एक ही विधि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने के उद्देश्य से एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० धन सिंह रावत मंत्री

No. 02/XXXVI(3)/2024/58(1)/2023 Dated Dehradun, January 03, 2024

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Private University Act, 2023' (Act No. 02 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 01st January, 2024.

THE UTTARAKHAND PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 02 of 2024)

Index

Sections	Details	Page No	
	CHAPTER I		
	Preliminary	- 70	
1.	Short title, Extent and Commencement	. 49	
2.	Definitions	49-52	
	CHAPTER II		
	Establishment of University		
3.	Condition for establishment of the University	52	
4.	Submission Proposal for Establishment of the Private University	53	
5.	Evaluation and recommendation of proposals	53	
6.	Issuance of letter of intent and submission of	53	
	compliance report by Sponsoring Body		
7.	Establishment of the University	53-54	
	CHAPTER III		
	Incorporation of University and its Objectives		
8.	Incorporation of Universities	54	
9.	Objectives of the University	54-55	
10.	Power of the University	55-57	
11.	Admission and Academic Standards		
12.	University to be open to all Classes and Creeds	58	
13.	Provisions for Permanent Residents of the State of Uttarakhand		
14.	No Power to Affiliate any Institution	58	
	CHAPTER IV		
	Officers of the University		
15.	Officers of the University	58-59	
16.	The Visitor	59	
17.	The President	59-60	
18.	The Vice-Chancellor	60-61	
19.	Powers and Duties of the Vice-Chancellor	61-62	
20.	The Pro-Vice-Chancellor	62	
21.	Dean/ Principal/Director	62	
22.	The Registrar	62-63	

23.	The Finance Officer	63
24.	The Controller of Examinations	63
25.	Other Officers	63
	CHAPTER V	
	Authorities of the University	
26.	Authorities of the University	63-64
27.	The Board of Governors	64-65
28.	The Board of Management	65-66
29.	The Academic Council	66
30.	The Board of Examinations	66
31.	The Boards of Studies	66
32.	The Planning Board	66
33.	The Finance Committee	66-67
34.	Other authorities of University	67
35.	Disqualification of the Members of an Authority or Body	67
	CHAPTER VI	
2 (0) ==	Statutes, Ordinances and Regulations	
36.	Powers to make Statutes	67-69
37.	Power to make Ordinances	69-70
38.	Power to make Regulations	70
39.	Publication of Statues, Ordinances and Regulation	70
40.	Convocation	70
41.	Accreditation of University.	70
	CHAPTER VII	
	Funds and Account of the University	
42.	Permanent Endowment Fund	70-71
43.	General Funds	71
44.	Development Funds	71
45.	Maintenance of Funds	71
46.	Annual Report	72
47.	Annual Account and Audit	72
48.	The University shall be self-financed	72
	CHAPTER VIII	
	Role of State Government and Regulatory Bodies	
49.	University to follow rules, regulations, norms, etc. of regulatory bodies.	73
50.	Power of State Government to call for information and records	73
51.	Role of the Government and Regulatory Bodies	73-74

52.	Fees	74-75
53.	Provision of Penalties	: 75
	CHAPTER IX	
	Dissolution/Winding up of University	
54.	Dissolution/ Winding up of University	75-76
55.	Expenditure of the University during	76
1000 0000	Dissolution/Winding up	
	CHAPTER X	
	Miscellaneous and Transitory Provisions	
56.	Duties of Teachers	. 76
57.	Obligation to perform Examination work	; 76
58.	Returns and information	77
59.	Conditions of service of employees etc.	. 77
60.	Right to appeal	77
61.	The Grievance Redressal Committee	78
62.	Provident fund and pension	78
63.	Disputes as to constitution of authorities and bodies	78
64.	Filling of casual vacancies	78
65.	Proceedings of authorities or bodies not to be invalidate due to vacancies	78
66.	Protection of action taken in good faith	78
67.	Mode of proof of University records	79
68.	Powers of the Government to make rules	79
69.	Power to remove difficulties	79
70.	Disputes to be settled in a Court in Uttarakhand.	. 79
71.	Overriding effect	79
72.	Repeal and saving	79-80
73.	Transitional provisions	80
74.	Minority Private Universities	80

THE UTTARAKHAND PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 02 of 2024)

An

Act

to establish and incorporate new private Universities and to repeal the Acts of existing Private Universities and to incorporate them under this Act in the state of Uttarakhand, with emphasis to provide for qualitative, multidisciplinary and industry relevant Higher Education and to uniformly regulate their functions and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Uttarakhand State legislative assembly in the Seventy Fourth year of Republic of India, as follows,-

CHAPTER 1 Preliminary

			Tellininary		
Short title, extent and commencement	1. (1)		This Act may be called the Uttarakhand Private Universities Act, 2023.		
		(2)	It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.		
		(3)	It shall come into force on such date as the State Governmen may by notification in the official gazette, appoint.		
Definitions	2.	In th	is Act, unless the context otherwise requires, -		
		(a)	"Act" means the Uttarakhand Private Universities Act 2023;		
entervation (circle)		(b)	"Academic Council" means the Academic Council of the University;		
		(c)	"Authorities" means Authorities of the University;		
		(d)	"Board of Governors" means the Board of Governors of the University;		
•		(e)	"Board of Management" means the Board of Management of the University;		
		(f)	"Bodies" means Bodies constituted by any Officer or the Authority of the University;		
	0.000	(g)	"Capitation Fees" means any extra amount charged in cash or kind over and above the determined and displayed fee on the public domain;		
3		(h)	"College/Institution/School" means the college or institutions or school established and managed by the University;		
	CHICAGO CONTRACTOR				

	(i)	"Controller of Examination" means the Controller of Examination of the University;
	(j)	"Dean" means the Dean of a Faculty of the University;
	(k)	"Department" means a Department designated as such by the Ordinances or Regulations with reference to a subject or group of subjects;
1	(1)	"Director" means the Head of an Institution, including a Centre, of the University;
	(m)	"Employee" means any person appointed by the University including teacher or other staff;
	(n)	"Evaluation Committee" means an Evaluation Committee constituted to evaluate the proposals received for the establishment of a Private Universities;
	(0)	"Faculty" means the faculty of the University consisting of some Departments;
	(p)	"Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
	(q)	"Finance Officer/Finance Controller" means the Finance Officer/Finance Controller of the University;
	(r)	"High Power Committee" mean a High Power Committee constituted to recommend the proposals for establishing private universities in the State of Uttarakhand, under this Act;
	(s)	"Higher Education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
	(t)	"Hill Region" means such areas, blocks or districts defined by the State Government in its latest notifications, as Hill Region;
	(u)	"hostel" means a unit of residence for the students of the University or its constituent colleges or institutions maintained by the University in accordance with the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances;
	(v)	"Main Campus" means the main campus of the private University situated in Uttarakhand State, in which the university headquarters with at least five educational departments are in the same place;
	(w)	"Off-campus Centre/Campus" means a Centre/Campus established, operated and maintained by the private university as its constituent unit outside the main campus within the jurisdiction of the Uttarakhand State with the prior approval of University Grants Commission and the State Government;

Julian	(x)	
		and maintained by the private university as its constituent uni- outside the country with only after obtaining due permission of the Government of India and also that of the Government of the host country;
	(y)	"Officers of the University" means the officers of the University;
	(z)	"Ordinances" means the Ordinances of the University made under the provisions of this Act;
	(za)	"Permanent Resident" means such resident of the State, who has the domicile/permanent residence certificate as per the rules framed by the State Government from time to time;
	(zb)	"Prescribed" means prescribed by the Statutes, Ordinances of Regulations made under this Act;
	(zc)	"President" means the President of the University;
	(zd)	"Principal" means the Principal of a Campus College of the University;
	(ze)	"Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University;
	(zf)	"Registrar" means the Registrar of the University;
	(zg)	"Regulations" means the Regulations of the University made under the provisions of this Act;
		"Regulatory Bodies" means the regulatory bodies established by the Central/State Governments from time to time such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education (AICTE), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), National Medical Commission (NMC), Central Council of Indian Medicine (CCIM), Pharmacy Council of India (PCI), Indian Nursing Council (INC), Dental Council of India (DCI), Central Council for Homeopathy (CCH), Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Council of Architecture (C.Arch.), Distance Education Board(DEB), Rehabilitation Council of India (RCI), National Council of Rural Institutes (NCRI), etc;
	(zi)	"Schedule" means the Schedule appended to this Act;
	(zj)	 Sponsoring Body" means,- Any Society "not for profit" registered in Uttarakhand under the Societies Registration Act 1860, (Act no.21 of 1860) or any other corresponding law for the time being in force in the State; or

52

Submission of Proposal for Establishment of the University		la G ar Pi su	The sponsoring body desirous to established a private University law of the State Legislature, shall make an application to the State Government, containing among other things an outline of the purpand vision of the proposed University and the proposal and Project Report in such manner, containing such particulars along such fee, as may be prescribed by the State Government, from time.					
Evaluation and recommendation of proposals	5.	rea Ui an	The Higher Education Department of the State Government, o receipt of the proposal and the project report for establishment of University, shall constitute an Evaluation Committee for evaluation and a High Power Committee for recommendation, of the proposals in a manner as prescribed.					
Issuance of letter of intent and submission of compliance report by Sponsoring Body	6.	est	ther the receipt of the report of the Committee constituted under stion 5, if the State Government is satisfied that it is justified to ablish the University, it may issue a 'Letter of Intent' to the onsoring Body.					
Establishment of the University	7.	(1)	The State Government, if satisfied that the Sponsoring Body has fulfilled the conditions for establishment of the University as mentioned in Section-3 and has complied with the terms and conditions of Letter of Intent, issued under the Section 6, it may, after getting the University incorporated as per the provisions of sub-section (4) of Section-8, by a notification published in gazette, permit a Private University to be establish and operate, with such name and place.					
The second secon		(2)	The University shall start functioning only after getting the letter of authorization issued by the State Government for functioning of the University.					
		(3)	After establishment of the University, the name of the newly established Universities shall be mentioned in schedule-2 of this Act.					
•		(4)	The land, building and other infrastructure pledged/acquired/constructed/created for the University shall not be utilized for any purpose, other than for which the same is acquired or constructed.					
		(5)	All the properties of the University shall remain vested in the University and no employee, officer or the member of any Authority of the University shall have any personal or proprietary rights on these properties.					
********		(6)	The University shall not offer its programmers through franchising arrangement with other institutions/colleges or private coaching institutions even though the courses have to be conducted through distance mode.					

		(d)	National integration, patriotism, secularism, social equity and inculcation of international understanding and ethics;
		(e)	To make learning more responsive to industrial and social need and for holistic development associating the University closely with local, regional and national challenges; and
		(f)	Pursue any other objectives as may be approved by the Government.
Powers of the University	10.	by t	ect to the guidelines and norms as prescribed from time to time he Regulatory Bodies and the State Government the University have the following powers, -
		(a)	
		(b)	to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with designation of Professor Emeritus;
		(c)	to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates, and confer degrees or other academic distinctions to persons on the basis of examinations evaluation or any other method of testing, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
	1.	(d)	to confer honorary degrees with prior approval of the Visitor;
***************************************		(e)	to institute as per norms of Regulatory Bodies and State Government Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching of academic posts required by the University and to make appointments for the same;
		(f)	to create administrative, clerical and other posts and to make appointments thereto;
		(g)	to disseminate learning through various suitable modes, such as seminars, conferences, workshops, educational programs, community development program, publication, training programs etc.;
manus C. dl.		(h)	to appoint or engage permanently or for a specified period persons of eminence from Industry, Academic or Research fields;
Photograph (Property Company)		(i)	to co-operate, collaborate or associate with any other University or Institution or Industrial and Social Organization in India or abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

	(j)	to establish and maintain such schools, faculties, departments centers, specialized laboratories and other units for research and education as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objectives;
	(k)	to institute and award fellowships, scholarships, studentships medals and prizes;
Andrew Control of Springer Control	(l)	to create a 'Corpus' fund for sustained and self-sufficien growth of the university;
	(m)	to establish, maintain and manage the hostels for students and residences of faculty and staff;
	(n)	to make provisions for functioning of University in accordance with the administrative and financial rules and procedures laid down by the University;
	(o)	to make provisions for research and consultancy;
	(p)	to determine standards for admissions into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing to ensure quality in accordance with the norms of State Government and other Regulatory Bodies;
	(q)	to determine, demand and receive fee and other charges;
27.000.11	(r)	to lay down conditions of service of all categories of employees including their code of conduct;
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	(s)	to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;
	(t)	to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such decisions in this regard as may be deemed necessary by the University;
	(u)	to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
18	(v)	to condemn or dispose off movable properties with the prior permission of the Sponsoring Body and as per provision of the Statutes, Ordinances and Regulations;
	(w)	To receive donations and to acquire, hold and manage any property, movable or immovable for the welfare of the University;

			1, 1111, 111
		(x)	to raise, collect, subscribe and borrow money for the purpose of University with approval of the Board of Governors and the Sponsoring Body, whether on the security or the property of the University;
		(y)	to ensure that no immovable property shall be disposed off or rights or title therein parted with or any liability created thereon, by any of the officers or authorities of the University, without prior approval of the State Government;
		(z)	to appoint either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course directors and such other persons who may contribute to the advancement of the objectives of the University;
		(za)	to make donations or grants or providing assistance to institutions, social institutions and charitable institutions having similar objectives;
		(zb)	to organize and to undertake extramural studies and extension service;
		(zc)	to organize and conduct orientation courses, refresher courses, workshops, seminars and other programs for teachers, staff and students;
	1-	(zd)	to enter into, carry out, amend or cancel contracts;
		(ze)	to recognize examinations or period of studies (whether in full or part) of other Universities, Institutions or other Institutions of higher learning as equivalent to examinations or period of study of the University and to withdraw such recognition at any time;
1000		(zf)	to provide education in distance mode with the approval of the University Grants Commission, Regulatory Body and the State Government; and
		(zg)	to do all such other acts or things as may be necessary, incidental or conducive for smooth functioning and to attainment of all or any of the objectives of the University.
Admission and Academic Standards	11.	(1)	Admissions in all academic programmes, conducted by the University, shall be made by the admission committee as per the norms determined in accordance with the provisions of the Act, the Statutes and Ordinances made there under;
0.02		(2)	The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies;

		(c)	The Vice-Chancellor;
		(d)	The Pro-Vice-Chancellor:
		(e)	The Dean/Principal/Director;
		(f)	The Registrar;
		(g)	The Finance Officer;
		(h)	The Controller of Examinations; and
		(i)	such other officers as may be defined and declared by the Statutes to be the officers of the University.
The Visitor	16.	(1)	The Governor of Uttarakhand shall be the Visitor of th University.
*		(2)	The Visitor, when present shall preside over the convocation of the University.
		(3)	Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the approval of the Visitor.
		(4)	The Visitor shall have the following powers; namely,-
			(a) To call for any paper or information relating to the affairs of the University;
			(b) On the basis of the information received by the Visitor, is he is satisfied that any order, minutes or decision taken by any authority of University is not in conformity with the Act, Statues, Rules, Regulation or Ordinance he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by all concerned office bearers.
The President	17.	(1)	The President shall be appointed by the Sponsoring Body for a period of 05 (five) years by following such procedure and on such emoluments, terms and conditions as may be prescribed: Provided that he may be re-appointed by the Sponsoring Body.
			The President shall be the Head of the University. He shall be ex-office Chairmen of the Board of Governor and shall preside over the convocation of the University in the absence of the Visitor.
			If in the opinion of the President, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any authority under this Act, he may take such action as he deems necessary.
			If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the President in his post is not in the interest of the University, the Sponsoring Body, after following the procedure as prescribed by the statute, may ask the President to demit his office:

				Provided that before taking an action under this sub-section President shall be given an opportunity of being heard.		
		(5)	The	e President shall have the following powers, namely,-		
			(a)	he shall be appellate authority for hearing the appeals against the decisions of the Board of Management as disciplinary (appointing) authority of the teachers of equivalent;		
			(b)	to call for any information or record of the University;		
and the same of th			(c)	to appoint the Vice-Chancellor under sub-secion (3) of section 18 of this Act;		
			(d)	to remove the Vice-Chancellor under sub-section (6) of Section 18 of this Act; and		
			(e)	such other powers as may be prescribed by the Statutes.		
The Vice- Chancellor	18.	(1)	The Vice-Chancellor shall be whole time salaried officer of the University who shall be responsible for over-all functions of the University and shall function through authorities and officers of the University.			
		(2)	stror and	Vice- Chancellor shall be an eminent academician with ag administrative acumen. He shall fulfill the qualification experience prescribed in the Regulations of University ats Commission or other Regulatory Bodies, from time to		
		(3)	quali cond three recor	Vice-Chancellor shall be appointed, subject to fulfilling the fication as per sub-section (2), and on such terms and itions as may be prescribed by the Statutes, for a period of years by the President, from a panel of three persons mended by the Search-cum-Selection Committee ituted under sub-section (4):		
				Provided that the Vice-Chancellor shall be eligible for cointment subject to the approval of the Board of ernors:		
	*			Provided further that no person shall be appointed or the post of the Vice-Chancellor after attaining the age as mined by the Regulatory body.		
	1 1			A STATE OF THE STA		

*			(a)	One member nominated by the Visitor;
7 9 904			(b)	One member nominated by the President;
		1	(b)	One member nominated by UGC;
	- Control of the Cont		(d)	Principal Secretary/Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand
			(e)	Two members nominated by the Board of Governors-one of whom shall be nominated by the Board of Governors as convener of the committee.
		(5)	to he s	Committee constituted under sub-section (4) shall, on the s of merit, prepare a panel of names of three persons suitable old the office of the Vice-Chancellor and forward the same he President along with a concise statement showing the demic qualifications and other distinctions of each person: Provided that if the President is not satisfied/agreed with panel recommended by the search-cum-selection committee, hall with reasons of disagreement call for a fresh panel only more time.
		(6)	mak so w inter statii demi	t any time, upon representation made or otherwise, and after ing such enquiry, as may be deemed necessary, the situation varrants that continuance of the Vice-Chancellor is not in the rest of the University, the President, by an order in writing ing the reasons thereof, may ask the Vice-Chancellor to it his office from such date as may be specified in the order: Provided that before taking an action under this subson, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of g heard.
Powers and Duties of the Vice- Chancellor	19.	(1)	head and	Vice-Chancellor, shall be principal academic and executive of the University who shall exercise general supervision control over affairs of the University and its constituent eges/ Institutions/Schools. He shall,-
				preside over the convocation of the University in the absence of the Visitor and the President;
				implement the decisions of the President and authorities of the University;
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O				be ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee;
				ensure the observance of the provisions of Act, Statutes, Ordinances, Regulation and Rules;

			(e)	be responsible for the proper administration, co-ordination, utilization of funds, timely holding the examination and declaration of the results and maintenance of discipline in the University; and
		Į.	(f)	have the right to speak in and otherwise take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub section be entitled to vote.
***		(2	imm on a such oppo	the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take dediate action on any matter for which powers are conferred my authority, under his control, under this Act, he may take action as he deems necessary and shall at the earliest ortunity thereafter report his action to such officer or ority as it would have in the ordinary course dealt with the earlier:
			the ri	Provided that if in the opinion of the concerned officer thority such action should not have been taken by the Vice-cellor, then the person aggrieved by the decision shall have ght to appeal, within a period of two months from the date ammunication or knowledge of such decision, before the dent, whose decision thereon shall be final.
		(3)	perto	Vice-Chancellor shall exercise such other powers and rm such duties as may be prescribed by the Statutes or ated by the Board of Governors or the President.
The Pro-Vice – Chancellor	20.	(1)	the re prescr perfor	ro-Vice-Chancellor shall be appointed by the President on commendation of the Vice-Chancellor in such manner as ibed by the Statue, and he shall exercise such powers and m such duties as may be prescribed by the Statutes or led in the Ordinances and regulations.
		(2)	The P discha	ro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall rge his duties in addition to his duties as a Professor.
		(3)	The P discha Chanc	ro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in rging day-to-day duties as and when required by the Vice-ellor.
Dean/Principal/ Director	21.	man	ege/inst ner and	in/Principal/Director of each faculty/constituent tution/school of the University shall be appointed in such shall exercise such powers and perform such duties as cribed by the Statutes.
The Registrar	22.		Univer	egistrar shall be a whole-time salaried Officer of the sity and shall be appointed by the President in such and on such terms and conditions as may be prescribed Statutes.

		(7	The Registrar by virtue of his office shall be the member secretary in the Board of Management and the Academi Council and Secretary for the selection committee of the teachers and shall be a member of Finance Committee and other committees or bodies, as may be prescribed by Statutes and Ordinances.
		(3	The Registrar shall be custodian of records, property and common seal of the University and he shall have the power to authenticate records on behalf of the University.
		(4)	The Registrar shall have the power to enter into contract, sign documents on behalf of the University.
		(5)	The Registrar shall be bound to place before the authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statute, Ordinances or Regulations or as may be delegated to him by the Vice-Chancellor and other Authorities from time to time.
The Finance Officer	23.	(1)	The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
		(2)	The Finance Officer shall, be the ex-officio secretary of the Finance Committee.
The Controller of Examinations	24.	(1)	The Controller of Examinations shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes, Ordinance and Regulations.
		(2)	The Controller of Examinations shall be the member secretary of the Board of Examinations.
Other officers	25.	pow	procedure of appointment, terms and conditions of service, ers and duties of other officers of the University shall be as cribed by Statutes.
Table 1			CHAPTER V Authorities of the University
Authorities of the University	26.	The	following shall be Authorities of the University, namely:-
		(a)	The Board of Governors;
		(b)	The Board of Management;
		(c)	The Academic Council;

64

		(d)) Th	ne Board of Examinations;		
		(e)	Th	ne Board of Studies;		
		(f)	Th	e Planning Board;		
		(g)	Th	e Finance Committee; and		
		(h)		ch other authorities as may be prescribed by the Statutes to be authorities of the University.		
The Board of Governors	27.	(1)	Au	e Board of Governors shall be the Principal Governing thority of the University who shall control its functioning, but all such powers as prescribed by Statutes, Ordinances of gulations.		
		(2)		Board of Governors of the University shall consist o		
			(a)	The President - Chairman;		
			(b)	The Vice-Chancellor - Member Secretary;		
			(c)	Two distinguished academician nominated by the Visitor;		
			(d)	Two distinguished academicians nominated by the Stat Government;		
			(e)	The Principal Secretary/Secretary, Department of Highe Education, Government of Uttarakhand or a person nominated by him not below the rank of Additional Secretary;		
9.3			(f)	Three distinguished persons nominated by the Presiden from the fields of Administration/Corporate/ Managemen / IT etc.; and		
*			(g)	Five distinguished persons nominated by the Sponsoring Body, out of whom at least one should be an academician.		
			such shall fourt	Board of Governors shall meet at least twice in a year or date and place as the President may fix: Provided that the President may, whenever he thinks fit or upon a requisition in writing signed by not less than one th of the total members, convene a special meeting of the dof Governors.		
THE STREET						

	-		(a)	to decide the broad policies and from time to time review the programs of the University and to suggest measures for the working procedures, improvement and development of the University;
		+	(b)	to appoint the Statutory Auditors of the University
			(c)	to review the decisions taken by the Board of Governors and to amend or to change or to repeal the decisions taken by other authorities;
<u> </u>			(d)	to approve budget, annual report and annual account of the University;
			(e)	To approve new or additional Statutes and Ordinances made by the Board of Management or to amend or repeal the Statutes and Ordinances made earlier;
,			(f)	to take decision about voluntary winding up of the University;
			(g)	to open, close, operate and manage accounts of the University;
			(h)	to approve proposals for submission to the State Government;
	-		(i)	to maintain and supervise all funds of the University;
			(j)	to take decision regarding future planning and development of the University;
			<u>(k)</u>	to take such decisions and take such steps as are desirable for growth and effectively carrying out the objectives of the University; and
-			(1)	to perform such other functions as may be prescribed.
The Board of Management	28.	(1)	The auth	Board of Management shall be the principal executive ority of the University.
		(2)	The	Board of Management shall consist of the following ely,-
	-		(a)	The Vice-Chancellor - Chairperson;
The second secon			(b)	The Pro- Vice -Chancellor, if any;
NO.			(c)	Five eminent persons, nominated by the Sponsoring Body from different fields;

			(d)	The Principal Secretary/Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand or person nominated by him not below the rank of Additional Secretary;	
To secure title			·(e)	Maximum Three Deans/Principals/Directors on the basis of rotation, nominated by the President;	
			(f)	Two Professors, on recommendation of Vice- Chancellor, nominated by the President on the basis of seniority and rotation:	
			(g)	The Finance Officer; and	
			(h)	The Registrar - Member Secretary.	
		(2) The meetings of the Board of Management shall be had manner as may be prescribed.			
		(3)	The	Board of Management shall exercise such powers and orm such functions as prescribed by statutes.	
The Academic Council	29.	(1)	of the State and	Academic Council shall be the principal academic authority he University and shall subject to the provisions of the ites, the Ordinances and Regulations, determine, co-ordinate exercise general supervision over the academic policies of University.	
		(2)	its m	constitution of the Academic Council, the term of office of tembers and its powers and functions shall be such as may rescribed by the Statutes.	
The Board of Examinations	30.		e constitution, powers and functions of the Board of Examinations all be as prescribed by the Statutes and Ordinances or Regulations.		
The Boards of Studies	31.		The constitution, powers and function of the Boards of Studies shall be as prescribed by the Statutes.		
The Planning Board	32.	(1)	Uni	Planning Board shall be the principal Planning Body of the versity which shall ensure that the infrastructure and lemic support system meets the norms of the University ats Commission and other Regulatory Bodies.	
		(2)	men	constitution of the Planning Board, term of office of its abers and its powers and functions shall be such as may be cribed by the Statutes.	
The Finance Committee	33.	(1)	for p	Finance Committee shall be Principal Financial Authority policy making and management of financial matters of the versity.	

		(2)		constitution, powers and functions of the Finance mmittee shall be such, as may be prescribed by the Statutes.		
Other authorities of University	34.			itution, powers and functions of other authorities, declared tutes, of the University, shall be such as may be prescribed.		
Disqualification of the Members of an Authority or Body	35.	(1)	A person shall be disqualified for being a member of a authorities or bodies of the University, if he, - ·			
			(a)	is of unsound mind and stands so declared by a competent medical board;		
			(b)	is an undischarged insolvent;		
			(c)	has been convicted of any offence involving moral turpitude;		
			(d)	has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere;		
			(e)	has any motive of profit from University except salary or any other authorized emoluments;		
			(f)	applies funds of the University for his personal use.		

CHAPTER VI Statutes, Ordinances and Regulations

Powers to make Statutes	36.	(1)	The First and amended Statutes of the Universities incorporated and established under this Act shall be made by the Board of Governors on recommendation of the Board of Management and shall be submitted before the State Government for its approval.
		(2)	Within 03 (three) months from the date of receipt of the Statutes the Government shall consider and approve or return the same to the University for modification with its suggestions.
		(3)	Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely, -
30° V (* 5 100 + 5 10			(a) constitution, powers and functions of the Authorities of the University or as may be constituted from time to time;

		(b)	appointment and continuance in office of the members of the Authorities, filling of vacancies of the members of the Authorities and all other matters relating to authorities for which it may be necessary to make provisions;
		(c)	appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;
		(d)	appointment of teachers, other academic, administrative and non-academic employees and their emoluments;
2+2		(e)	appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;
		(f)	conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;
		(g)	principles governing seniority of service of employees;
		(h)	procedure for resolving disputes between university and its officers, teachers, employees or students;
-		(i)	institution and condition for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
		(j)	procedure for filing appeal by any employee or student against the action of any officer or authority of the University and it's disposal;
		(k)	conferment of honorary degrees;
		(1)	withdrawal or cancellation of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;
		(m)	operation of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund;
		(n)	establishment, merger and abolition of Departments;
			maintenance of discipline among the students and employees;
		(p)	Creation and abolition of posts;
		(p)	Process of dissolution/winding up of the University; and
	-		all other matters, as per this Act or as may be prescribed.

		(4)	Sta the opp	e Board of Management shall not make, amend or repeal and tutte affecting the powers or constitution of any authority of University until such authority has been given a portunity of expressing an opinion in writing on the posed changes and any opinion so expressed shall be usidered by the Board of Management.
Power to make Ordinances	37.	(1)	Ord	pject to the provisions of this Act and the Statutes, the linances shall be made by the Board of Management which provide for all or any of the following matters, namely, -
			(a)	the admission of students to the University and their enrolment as such;
			(b)	the determination of courses of study to be laid down fo all degrees, diplomas and certificates of the University;
			(c)	the medium of education and examination;
			(d)	the award of degree, diploma, certificate and other academic distinction and determination of eligibilities and measures to be taken for awarding or obtaining the same;
			(e)	the determination of tuition fee for various programs and chargeable fee for examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;
			(f)	the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
			(g)	the conduct of examinations including the term of office and the manner of appointment and duties of the Examination Committee, examiners, invigilators, tabulators and moderators;
			(h)	the conditions of residence of the students of the University;
76)			(i)	special arrangements, if any, to be made for the residence, discipline and teaching of girl students and to prescribe special courses of studies for them under the University;
			(i)	the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;
		(the establishment of Centre of Studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

		(1)	the manner of co-operation and collaboration with other Universities and Institutions including professional bodies or associations;	
		(m)	the creation, composition and functions of any other body/committee which is considered necessary for improving the academic standard of the University;	
	ř	(n)	the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators; and	
To the state of th		(0)	other matters as prescribed by the Act or Statutes.	
Power to make Regulations	38.	For academic, administrative and other activities of the University the authorities of the University may make Regulations not inconsisten with the provisions of this Act, Statutes and Ordinances.		
Publication of Statues, Ordinances and Regulation	39.	Every Statute, Ordinance and Regulation made under this Act shall be published by the University and shall also uploaded in its website and the public domain.		
Convocation	40.	The Convocations of the University, for conferring degree, diplomas or for any other purpose, may be held regularly in the manner as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.		
Accreditation of University	41.	the University may be presalso obtain Bodies wh University.	eriod of five years from commencement of programmes, sity shall obtain NAAC and other such accreditations as scribed by the State Government from time to time. It shall certification/accreditation from such other Regulating ich are connected with the courses conducted by the It shall inform the State Government about the grade the University. The University shall ensure renewal of itation from time to time.	

CHAPTER - VII Funds and Account of the University

Fund of at least of Rupees 05 (Five) crore for plane areas and Rupees 3 (Three) crore for hill areas in the form of a Bank Guarantee of a Nationalized Bank Pledged in the name of State Government for a period of 05 (five) years and it shall be renewed after every five years and after every five year the said Bank Guarantee shall be increased by 25 percent.

	14 0 0	1111111		जट, 03 जनवरा, 2024 ई0 (पाष 13, 1945 शक सम्वत्) 71			
		(2)	the fur Or Go the Bo	the Endowment Fund shall be used as security deposit to ensure at the University complies with the provisions of this Act and anctions as per the provisions of this Act, the Statutes, the dinances and the Regulations made there under. The State overnment shall have the powers to forfeit, a part or whole of Endowment Fund, in case the University or the Sponsoring ody contravenes the provisions of this Act, the Statutes, the dinances or the Regulations made there under.			
10		(3)	for	e University may utilize the income from Endowment Fund the development of infrastructures of the University or for eting the recurring expenditure of the University.			
General Funds	43.		The University shall establish a General Fund to which the following amount shall be credited, namely, -				
		(a)	all	fees which may be charged by the University;			
		(b) all sums received from any other sources;					
•		(c) all contributions made by the sponsoring body; and					
		(d)	ins	contributions made in this behalf by any other person, titutions or bodies which are not prohibited by any law for the e being in force.			
	(2)	The money credited to the general fund shall be applied for development of the University and to meet all the expenses for it smooth functioning.					
Development Funds	44.	(1)	 The University shall also establish a development fund to whether the following moneys shall be credited, namely, - 				
			(a)	development fees, which may be charged from students;			
			(b)	all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;			
			(c)	all contributions made by the Sponsoring Body;			
			(d)	contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and			
			(e)	all incomes received from the permanent endowment fund.			
		(2)		money credited to the development fund from time to time be utilized for the development of the University.			
Maintenance of Funds	45.	supe	rvisi	is established under this Act shall subject to general on and control of the Board of Governors and shall be and maintained in such manner as may be prescribed.			

Annual Report	46.	(1)	The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Governors on such date as may be prescribed. The Board of Governors in its annual meeting shall consider and approve the Annual Report.
		(2)	Approved Annual Report shall be submitted to the Visitor and State Government before 31st December each year.
Annual Account and Audit	47.	(1)	The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute.
•		(2)	A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report and the observations of the Board of Management shall be submitted to the President and the Board of Governors for consideration in the Annual Meeting.
-	Management of a common party of the common par	(3)	The Board of Governors in its annual meeting shall consider and approve the annual accounts and audit report. Observations on annual accounts, if any, shall be brought to the notice of the Board of Management. The Board of Management after reviewing the observations, if any, shall submit the audit report before the President for approval.
		(4)	A copy of the annual account and balance sheet duly approved by the Board of Governors shall be sent to the Visitor and the State Government before 31stDecember each year for information and uploading it in the website of the concern Department.
		(5)	The directions of the State Government on the subject arising out of the account and the audit report of the University shall be binding on the University.
The University shall be self- financed	48.	finar	University shall not be entitled for any grants in aid or any nicial assistance from the State Government or any other body or coration owned and controlled by the State Government:
		State	Provided that the University shall be entitled to receive any grant which may be granted under any special scheme of the Central Government or any body or corporate, owned or colled by the State/Central Government subject to the condition ch a grant.

CHAPTER VIII Role of the State

Role of the State								
			Government and Regulatory Bodies					
University to follow rules, regulations, norms, etc. of regulatory bodies								
 Power of State Government to call for Information and records	50.	ad	shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the dministration or finances and other affairs or activities etc. of the University as the State Government may call for.					
Role of the Government and Regulatory Bodies	51.	(1)	The University, as an autonomous body, shall function independently within broad policy frame work of the State Government and in accordance with the Regulations and Guidelines of Regulatory Bodies. The role of the State Government and the Regulatory Bodies shall be to ensure that the functioning of the University is as per the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations and the State Government and Regulatory Bodies may interject for a constructive resolve in the greater academic interests, including periodic inspection.					
		(2)	The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied by the University, failing which the State Government may take a reasonable action against the University.					
		(3)	On identification of gross mismanagement, mal-practice, fraud or misappropriation or serious misuses of funds, failure in the accomplishment of the objectives of the University or non-compliance of the provision of Letter of Intent and any section of this Act, the State Government shall issue notice requiring the University to show cause within two months.					
0.711		(4)	Upon receipt of the reply from the University on the notice issued under sub-section (3), if the Government is satisfied that the University has violated any provisions of this Act or Statutes, it shall conduct such inquiry as it may deem fit.					
			If, on receipt of the report of the enquiry conducted under sub- section (4), the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act or Statute, then it may take appropriate action, including imposing the penalty on the University, recommend to the regulatory Bodies to derecognize the University or winding up of the University.					

		(6)	Without prior approval of the State Government no immovable property of the University shall be disposed off, sold or transferred by any of the officers or authorities of the University.
Fee	52.	(1)	The fee structure for all purpose shall be determined by the Board of Management on recommendations of a Fee Fixation Committee, constituted by the Board of Governors. The Fee Fixation Committee shall consist of members drawn from Board of Management, Academic Council, as well as external experts related to the programs and accounts. A senior member of the Board of Management shall be Head of the Fee Fixation Committee.
	Property () () and property () and and () () and () and () ()	(2)	Fees determined by the Board of Management shall be valid for 03 (three) consecutive academic years. All fees and charges determined by University shall be transparently and fully disclosed, along with the basis of fee fixation process. There shall be no increases in the tuition fees to be charged from an enrolled student during the period of completion of any course.
	The second secon	(3)	The University shall not charge any fee, in any form, like Capitation fee etc., from its students over and above the fee fixed by the Fee Fixation Committee or by the Regulatory Bodies and there shall be no profiteering of education.
		(4)	The level of fees charge, for the courses offered, shall have a reasonable relation to the cost of running the course, infrastructure, quality of teaching & research and other facilities. The Admission process and fee structure shall be published in the prospectus and uploaded on the Website of the University before starting the admission in any course & session.
		(5)	The University shall preserve the complete proceedings and records of fee determination process and a copy shall be sent to the State Government for information, and for further consideration, if required.
		(6)	In the event of any written complaint, related to wrongly in fixation of fee, demand of fee or money in excess of the fee fixed and displayed in public domain, lodged before the Board of Governors by any student enrolled in a course, the Board of Governors shall settle the matter itself or through the Student Grievance Redressal Committee constituted as per norms of University Grants Commission regulation.
		(7)	Any student aggrieved by the decision of the Board of Governors or the Student Grievance Redressal Committee may refer the case, along with supporting documents, to the State Government, within two months of the decision of the University.

		(8)	The State Government shall examine and decide the matter and its decision shall be final.
Provision of Penalties	53.	(1)	Whoever contravenes the provisions of this Act or the rules made there under for any examinations related matters or in matters relating to the admissions and award of degree or in giving mark sheets or fee related matter or matter related to appointment of Faculty, shall on conviction be punishable with fine of such amount as may be notified by the State Government from time to time; Provided that, where the University is also involved in committing the offence, the authorization letter, issued by the Government under this Act, to operate the University shall be withdrawn.
	-	(2)	No Court lower than the court of a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act, nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Principal Secretary/ Secretary, Department of Higher Education Government of Uttarakhand or any other person authorized, in writing by him, by general or special other order in that behalf.
		(3)	Penalty under this Section may the imposed without prejudice to the penalty specified in any other Act.

CHAPTER IX Dissolution/Winding Up of University

Dissolution/Winding up of 54 University	. (1)	If the Sponsoring Body proposes to dissolve, the University it shall give at least one year's prior notice in writing to the State Government.
	(2)	On receipt of notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements in such manner as may be prescribed for administration of the University, from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular program of the University complete their program/studies.
	(3)	If the State Government decides to wind up the University in pursuance to provisions of sub-section (5) of section 51, it shall initiate the process of winding up of the University in accordance with the Statutes made in this regard:

		Provided that the process of winding up of University shall not be initiated without giving a reasonable opportunity of being heard to the Sponsoring Body.
	(4)	On the completion of the process of dissolution or winding up of the University under sub-sections (2) and (3), the State Government shall, by a notification in the Official Gazette, issue an order for dissolving or winding up of the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved/wound up and from such date all the remaining assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body.
Allumina de la compansa de la compa	(5)	Every notification issued under sub-section (4) shall be placed before the State Legislature Assembly.
Expenditure of the 55. University during Dissolution/ Winding up	(1)	Once the decision regarding dissolution or winding up of the University is taken by the State Government, the expenditure for administration of the University during the process of dissolution/winding up shall be met out from the permanent endowment fund, the general fund or the development fund.
	(2)	If the funds referred in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure and the liabilities of the University such expenditure and liabilities may be met out by the State Government by disposing off the properties and assets of the University.

CHAPTER X Miscellaneous and Transitory Provisions

Duties of Teachers	56.	Every teacher of a University shall carry out the work related to teaching, research, examination or other work assigned to him by the university from time to time.		
Obligation to perform Examination work	57.	Any person who is entrusted with the examination work relating to paper setting, invigilation, supervision, evaluation, conduct of practical examination, tabulation and preparation of marks sheets and all such activities shall discharge his duties prudently and with utmost integrity.		

Returns and information	58.	It shall be the duty of the University or any authority of officers of the University to furnish such information of records relating to the administration or finances and other affairs or activities etc. of the University as the State Government may call for.			
Conditions of service of employees etc.	59.	(1)	Every employee of the University shall be appointed under a written contract, a copy of which shall be kept by the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.		
		(2)	Disciplinary action against the employees shall be taken under procedure prescribed in the relevant Statutes.		
		(3)	Any dispute arising between the University and any of the regular appointed employees shall be referred to the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall decide the dispute within 03 (three) months from the date of its reference after giving an opportunity of hearing to the employee.		
		(4)	Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.		
	and the second	(5)	The employee aggrieved by the order of the Vice- Chancellor within a period of two months from the date of communication or knowledge of such order shall have the right to appeal before the President whose decision shall be final.		
		(6)	Notwithstanding anything contained in this Act, the employees of the University shall not be deemed as Public Servant and would always remain as under the private employment of the University for the purpose of this Act or otherwise.		
Right to appeal	60.	Every employee or student of the University or of a College or Institution maintained by the University, notwithstanding anything contained in this Act, shall have a right to appeal, within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Board of Governors against the decision of any officer or authority of the University, as the case may be, and thereupon the Board of Governors may confirm, modify or reverse the decision appealed against.			

61.	(1) There shall be a Grievance Redressal Committee in
	each University to deal with the grievances of teaching and non-teaching staff as well as students belonging to its departments to hear and redress them as far as may be practicable within three months. The Committee shall make periodical Reports to the Board of Management on the grievances dealt with by it.
	(2) The composition of the Grievance Redressal Committee, its powers, functions and the procedure to be followed by it in dealing with the grievances put up before it, shall be as prescribed by the Statutes or regulations of Regulatory Bodies.
62.	The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or welfare schemes or provide such insurance schemes as it may deem fit, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.
63.	If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the President whose decision thereon shall be final.
64.	All casual vacancies among the members (other than ex officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, select or co-opts the member, whose place has become vacant, and the person appointed, selected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
65.	No act or proceedings of authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in constitution of the Authority or Body.
	No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances and the Regulations.
	62. 63. 65.

Mode of proof of University records	67	pe sh ar or as	copy of any receipt, application, notice, order, proceedings solution of any authority or committee of the University or their documents or entry in the register which are in essession of the University, if certified by the Registrar, hall be received as prima-facie evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding/resolution, documents the existence of entry in the register and shall be admitted evidence of the matters and transactions therein recorded here the original thereof would, if produced have been missible in evidence.			
Powers of the Government to make rules	68.		The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.			
Power to remove difficulties	69.	a	If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Provided that no such order shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.			
TEMPORE OF CHICAGO AND ADMINISTRAL P. D. D. CONTROL OF CO. C.		(2)	Every order made under sub-section (I) shall be laid before the State Assembly as soon as after it is made.			
Disputes to be disposed in a Court in Uttarakhand	70.	Ac	disputes arising as a result of the provisions made in the tand the Statutes, Ordinances and Regulations made there ler shall be disposed of by a competent court of law in the te of Uttarakhand.			
Overriding effect	71.	and und to t	respect of Private Universities the provisions of this Act the Statutes, Ordinances and Regulations made there er shall have overriding effect notwithstanding anything the contrary contained in any other law, for time being in the, made by the State Legislature.			
Repeal and saving	72.		With commencement of this Act, all the Acts enumerated in column-2 of the Schedule-1 of this Act shall stand repealed.			
		(2)	Notwithstanding the repeal of the Acts enumerated in the Schedule mentioned in sub-section (1), all the decisions made, acts performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under such repealed Acts shall be deemed to be valid under this Act.			

		(3)	The Statutes, Ordinances or Rules and Regulations made under the provisions of the repealed Acts shall continue to be operational till the new Statutes. Ordinances and Regulations are made as per the provisions of this Act: Provided that the Universities established under the provisions of the repealed Acts and now incorporated and established under this Act shall submit the Statutes for the approval of State Government not later than 01 (one) year from the date of commencement of this Act.
Transitional provisions	73.		withstanding anything contained in this Act and the utes, -
The state of the s		(a)	The Sponsoring Body shall appoint the first President;
		(b)	The first Vice-Chancellor shall be appointed by the President in such manner and on such conditions as he may deem fit and the Vice-Chancellor shall hold office for three years;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(c)	The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the President in such manner and on such conditions as he may deem fit and said officers shall hold office for a period of three years;
111		(d)	the first Board of Governors shall hold office for a term not exceeding three years; and
		(e)	The President shall constitute the first Board of Management, the first Finance Committee and the first Academic Council.
Minority Private Universities	74.		Notwithstanding anything contained in this Act the University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttarakhand, shall continue to have the privileges as guaranteed by Article 30 of the Constitution of India.

Schedule 1 Existing Private Universities

S. No.	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
•	Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj – Shantikunj, Haridwar- 249411	The Dev Sanskiriti Vishwavidyalaya Act, 2002 (Act No. 04 of 2002.)	1 THE R. P. LEWIS CO. L. LANS CO. L.
•	UPES, P.O Bidholi Via-Prem Nagar, Dehradun-248007	The University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003 (Act No. 15 of 2003.)	Hydrocarbons Education &Research Society, 2 nd , floor, okhala industrial estate, phasa III, okhla, New Delhi 110020
•	The ICFAI University, Rajawala Road, Central Hope Town, Selaqui, Dehradun - 248 011	The ICFAI University Act, 2003 (Act No. 16 of 2003.)	The ICFAI society, Hyderabad, telangana
•	Himgiri Zee University, P.O. Sherpur, chakrata Road, Dehradun	The Himgiri Nabh vishwavidyalaya (university in the sky) University Act, 2003 (Act No. 17 of 2003.)	TALEEM Research Foundation, Ahmedabad, Gujarat
•	University of Patanjali Patanjali YogPeeth, Roorkee-Haridwar Road, Haridwar	The University of Patanjali Act, 2006 (Act No. 04 of 2006.)	The Patanjali YogPeeth(Trust), new delhi
•	Graphic Era Hill University, Bell Road, Clement Town Dehradun	The Uttarakhand Graphic Era Hill University Act, 2011 (Act No. 12 of 2011.)	Graphic Era Educational Society, 566/bell road, clement town, Dehradun248002
	DIT University, Mussoorie, Diversion Road, Makka Wala, Dehradun- 248009, Uttarakhand	The DIT University Act, 2012 (Act No. 10 of 2013.)	Unison education foundation, third floor, administrative block. IMS Unison University, village makkawala, uttarakhand 248009
	IMS Unison University, Mussoorie Diversion Road, Makkawala Greens, Dehradun-248009 Uttarakhand	The IMS Unison University Act, 2012 (Act No. 13 of 2013).	Unison education foundation, third floor, administrative block. IMS Unison University, village makkawala, uttarakhand 248009

9.	Uttaranchal University Arcadia Grant, Chandanwari, Premnagar, Dehradun- 248007 Uttarakhand	The Uttaranchal University Act 2012 (Act No. 11 of 2013.)	Research society arcadia grant, p.o chandanwari, Preminger, Dehradur 248007
10.	Swami Ram Himalayan University Swami Ram Nagar, Jolly Grant, Dehradun – 248140 Uttarakhand	The Himalayan University Act, 2012 (Act No. 12 of 2013.)	Himalayan Institute Hospital Trust Swami Ram Nagar Jolly Grant Dehradun 248016 Uttarakhand
11.	Motherhood University Karaundi, Bhagwanpur, Roorkee (Haridwar)	The Motherhood University Act, 2014 (Act No. 05 of 2015.)	Motherhood Institute of Management Technology Society, vill-karoundi, post- bhagwanpur, roorkee- 247667
12.	Bhagwant Global University Uttari Jhandi Chaur, Kotdwar District- Pauri - Garhwal, Uttarkhand	The Bhagwant Global University Act, 2016 (Act No. 39 of 2016.)	Bhagwant Education Foundation, New Delhi
13	Maharaja Agrasan Himalayan Garhwal University Dhaid Gaon, Block Pokhra District Pauri Garhwal- 246169,Uttarakhand	The Himalayan Garhwal University Act, 2016 (Act No. 33 of 2016.)	JanKalyan Educational Trust, 13, Naveen park, sahibabad, Ghaziabad
14.	Ras Bihari Bose Subharati University Kotra Santour, Nanda Ki Chowki, Dehradun-248007, Uttarakhand	The Ras Bihari Bose Subharati University Act, 2016 (Act No. 35 of 2016.)	Dr. Jagat Narain Subharti Charitable Trust, Dehradun
	Shri Guru Ram Rai University, West Patel Nagar, Patel Nagar, Dehradun- 248001 Uttarakhand	Act, 2016 (Act No.03 of 2017.)	Shri Guru Ram Rai Education Mission Society, Dehradun
	Quantum University Roorkee, Dehradun Highway, Mandawar, Roorkee-247:67 Uttarakhand	2016 (Act No. 04 of 2017.)	LMD Educational &Research Foundation (Trust), 14/1, new road, Dehradun

17. Sardar Bhagwan Singh The Sardar Bhagwan Singh Gaurav Bharti Shiksha University, Gullar Ghati University Act, 2016 (Act No. 12 Sansthan, Road, Balawala, Dehradunof 2018.) Dehradun 248161, Uttarakhand 18. Himalayiya University, The Himalayiya University Act, Himalayiya Ayurvedic Fatehpur Tanda, Jeevanwala, 2019 (Act No.08 of 2019.) Yog Evam Prakartik Dehrudun Chikitsa Sansthan, Dehradun CAER University, 07 KM The university of Engineering Seth roshan lal jain Roorkee Hridwar road, and Technology Roorkee Act, trust, 07 km Roorkee vardhmanpuram, roorkee 2020 (Act No.07 of 2021.) Haridwar road, district haridwar, vardhmanpuram, uttarakhand roorkee, district haridwar Surajmal University, village Surajmal university Act, Surajmal lakshmidevi dupahariya, tehsil-kichcha, 2021 (Act No.15 of 2021.) sawarthia educational district udham singh nager, trust (trust). kichha. uttarakhand udham singh nager, uttarakhand Dev Bhoomi Uttarakhand The Dev Bhoomi Uttarakhand Uttarakhand uthan university, navgaon, university Act, 2021 (Act No.17 samiti, 32/4, E.C. Road, manduwala, Dehradun, of 2021.) Dehradun, uttarakjhand uttrakhand Haridwar University, 5 km, The Haridwar University Act, The satyam education Roorkee-Haridwar Canal 2022 (Act No.16 of 2023.) society, Roorkee college Road, Village Bajuheri, of Engineering, Roorkee Roorkee, Haridwar, to Haridwar Canal Road, Uttarakhand. Bajuheri, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand 247667

Schedule 2 Private Universities established and incorporated under this Act

S.	Name and Main Campus of the University Name of A	Name of Acts	ts Sponsoring Body
No.		Name of Acts	
•			
•			

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH, Principal Secretary.

Statement of Objectives and reasons

Private universities have been established and incorporated by different Acts in the state. There are different provisions in the Acts of private universities and there is no uniform system for monitoring them. Therefore, it has been decided to make an umbrella act for the purpose of governing all private universities under the common law.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat Minister

